सितम्बर 1988

मूल्य दो रुपये

कुरुक्षेत्र

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

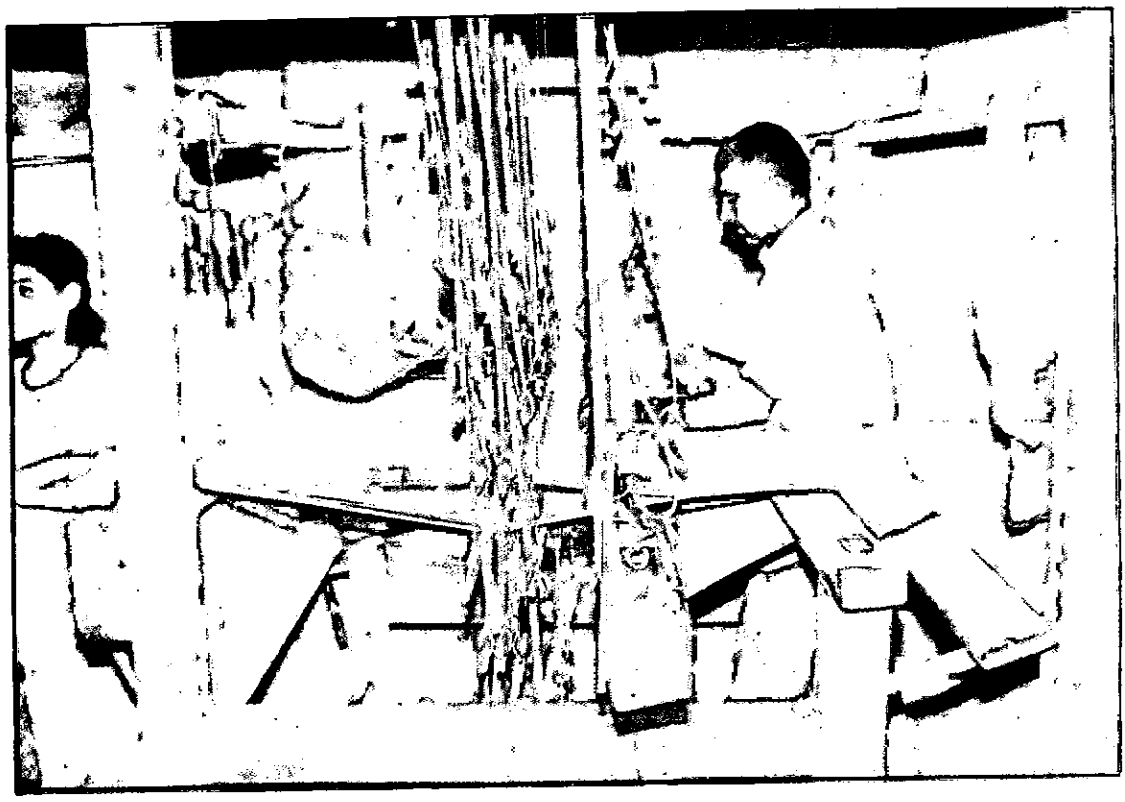

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए सरकार की नीति का एक साधन है। इसका उद्देश्य परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराने की नीति की मार्फत चयन किए गए परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है।

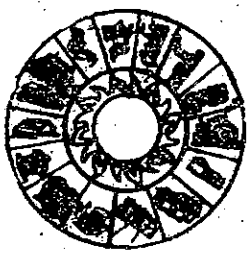

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

•

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

•

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिये।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष: 384888
एक प्रति: 2.00 रु.
वार्षिक चन्दा: 20 रु.

सहायक सम्पादक: गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक: राकेश शर्मा

सहायक निदेशक: राम स्वरूप मुंजाल (उत्पादन)

आवरण पृष्ठ: एम.एम. मलिक

चित्र: फोटो प्रभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से साभार

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हों।

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

वर्ष-33 भाद्रपद-आश्विन शक 1910 अंक-11

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-एक विश्लेषण 2
वी. मोहन सुन्दरम

भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम: एक अवलोकन 6
डी. एस. ढिल्लों एवं एन. एस. सन्धु

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम: गरीबी निवारण का एक दार्शनिक कार्यक्रम 11
सत्यानन्द गुप्ता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम-समस्यायें तथा संभावनायें 15
एस. के. सांत्रा

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम-समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 17
विनोद कुमार अग्रवाल

कल्याण के क, ख, ग, घ (पुत्तलिका नाटक) 19
बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

पर्वतीय क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आय तथा वितरण पर प्रभाव 21
डी.एस. नगरकोटी

कृषि कुंडलियां (कविता) 25
महेश चन्द्र शुक्ल

ग्रामीण बेरोजगारी: समस्या एवं समाधान 26
बिन्देश्वरी यादव

कमजोर वर्गों का उत्थान तथा बीमा योजना 28
कु० ज्योति मिश्रा

सार्वजनिक क्षेष कार्यक्रम – नगालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन अभियान 31
अ. मा. गोखले

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम – एक विश्लेषण

वी. मोहन सुन्दरम

गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करने के विषय में किये गये अध्ययन से दो सम्बन्धित बातें सामने आती हैं:

(अ) योजनाओं को खंड स्तर पर लागू करने में एक ओर तो अधिकारियों में उत्साहहीनता का भाव रहता है तथा विभागों में ताल-मेल नहीं होता, और दूसरी ओर राजनैतिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप योजनाएं ठीक ढंग से लागू नहीं हो पातीं।

(ब) ग्रामीण निर्धनों को इन विशेष योजनाओं के लाभों की पूर्ण जानकारी नहीं होती और इस कारण बिचौलिये इन लाभों का काफी हिस्सा डकार जाते हैं।

दूसरे शब्दों में, एक ओर तो वित्तीय आबंटनों को (उधार तथा सहायता को) बढ़ाया जा रहा है दूसरी ओर योजनाओं से आशानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

उपर्युक्त समस्याओं का कारण जानने के लिये तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले के दो खंडों के लाभप्राप्तकर्ताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बताये गये तथ्यों का अध्ययन किया गया। चुने गये दो खंड मदथुकुलम (खंड-1) तथा पोंगालुर (खंड-2) हैं। प्रथम खंड सिंचित और कुछ विकसित है, तथा दूसरा सूखा और कम विकसित हैं।

कार्य विधि: गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आई.आर.डी.पी. प्रमुख है। दुग्ध उत्पादन योजना और लघु भूसिंचन योजना, प्रतिनिधि योजनाओं के रूप में चलायी गई हैं। ध्यान देने की बात है कि तमिलनाडु में आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत कुल व्यय में से पहली योजना पर 52% खर्च किया जा रहा है जो कि पशुपालन योजनाओं के अन्तर्गत सबसे अधिक है और दूसरे पर खर्च 4% है जो कि अन्य कृषि योजनाओं की तुलना में काफी अधिक है। दूसरे भाग में आई.आर.डी.पी. से लोगों को हुये लाभों का विश्लेषण किया गया।

लाभप्राप्तकर्ताओं का, बैंक के साथ या ब्लाक-स्तर के विभागों के साथ, सीधा सम्बन्ध नहीं है। इनके बीच में एक बिचौलिया होता है चाहे वह विस्तार कार्यकर्ता हो, गांव का नेता या राजनैतिक नेता हो, जो कि योजना को चालू कराने में, लाभ दिलवाने में और ऋण चुकाने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। बिचौलिये का यह सम्बन्ध जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस पर योजना की सफलता निर्भर है। बिचौलियों के विषय में बहुत-सी शिकायत सुनने में आती हैं जैसे – आर्थिक सहायता में हेराफेरी, घूस लेना आदि।

लघु भूसिंचन योजना के विषय में दोनों ब्लाकों में आधे से अधिक छोटे कृषकों को बैंक अधिकारियों से तथा 34 प्रतिशत को विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। सीमांत किसानों में 60 प्रतिशत को, बैंक अधिकारियों से सूचना मिली और शेष को विकास कार्यकर्ताओं द्वारा। कार्यक्रमों का लागू होना, लघु भूसिंचन योजना की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। जैसे- कुएं गहरे करना, पाइप लाइन डालना, विद्युत मोटर पंप सैट देना, तेल इंजन देना। परन्तु यहां एक समस्या देखी गई कि इस योजना के अन्तर्गत छोटे कृषकों के बहाने कुछ बड़े कृषक विस्तार कार्यकर्ताओं से मिलकर ऋण प्राप्त कर लेते हैं।

कृषि-मजदूरों के विषय में केवल 16 घरों में सर्वेक्षण किया गया और वह भी केवल प्रथम ब्लाक में और शेष तो बिना किसी सिद्धांत के, मनमाने तौर पर, चुन लिये गये।

ग्राम-स्तर कार्यकर्ताओं ने, ब्लाक संख्या 1 में 53 प्रतिशत से अधिक लाभप्राप्तकर्ताओं से सम्पर्क किया और ब्लाक संख्या 2 में केवल 32 प्रतिशत से ही सम्पर्क किया। ग्राम नेताओं, स्थानीय राजनैतिक नेताओं ने ब्लाक संख्या 1 में 23 प्रतिशत मजदूरों को और ब्लाक संख्या 2 में 42 प्रतिशत मजदूरों को ऋण स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह भी देखा गया है कि निर्धन कृषकों की और मजदूरों की (विशेष रूप से राजनैतिक कारणों से) सहानुभूति प्राप्त करने के लिये, बिचौलियों ने यह गलत जानकारी दी कि ऋण वापस नहीं किया

जाना है। इससे वे सहायता राशि के साथ-साथ लाभार्थियों से भी कमीशन ले लेते हैं।

चूंकि बहुत-से लाभप्राप्तकर्ताओं को बिचौलियों से इस योजना के विषय में पता चलता है इसलिये वे इस योजना के उद्देश्य के विषय में बहुत कम जानते हैं। जहां सहायता के लिये कुछ प्रक्रियायें होती हैं और बार-बार अधिकारियों से सम्पर्क करना पड़ता है, वहां लाभ प्राप्त करने वालों को, योजनाओं के विषय में, कुछ जानकारी हो जाती है, उदाहरण के लिये लघु भूसिंचन योजना के विषय में। बाकी विषयों में लाभप्राप्तकर्ताओं ने योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ये योजनाएं उनके हित के लिये हैं। वे समझते हैं कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अनभिज्ञता और विस्तार कार्यकर्ताओं तथा अन्य अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन न होने के कारण, वे बैंक तक पहुंचने और बैंक से सहायता लेने के लिये, बिचौलियों की दया पर निर्भर रह जाते हैं।

सारांश यह निकलता है कि लाभप्राप्तकर्ता आई.आर.डी.पी. योजनाओं के विषय में तथा उनके उद्देश्यों के विषय में अनभिज्ञ हैं।

विस्तार कार्यकर्ता: यह स्पष्ट है कि ग्राम सेवक और ग्राम विस्तार कार्यकर्ता इन हितकारी कार्यक्रमों को लागू करने में मुख्य बिन्दु हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इनकी स्थिति बड़ी कमजोर है। इसके साथ वार्तालाप से पता चला कि इनका आई०आर०डी०पी० योजनाओं के विषय में, उनके उद्देश्य के बारे में, उपलब्धियों के विषय में ज्ञान बहुत कम है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कार्यकर्ता पर्याप्त न होने के कारण वे लक्ष्य के बारे में, और योजना के लागू होने के बारे में संतुष्ट नहीं हैं। ब्लाक स्तर पर अधिकारियों से बात करने पर ज्ञात हुआ कि वे स्वयं आई०आर०डी०पी० के विषय में गम्भीर नहीं हैं। वे इसे अपने ऊपर एक और थोपा हुआ कार्य समझते हैं। उनकी मुख्य शिकायत है कि जिले और राज्य स्तर के पदाधिकारी स्थानीय अधिकारियों से सलाह-मशविरा किये बिना उन लक्ष्यों को जो सम्भव नहीं हैं, निश्चित कर रहे हैं जिसका अर्थ यह है कि ग्राम सेवकों की संख्या, और अन्य सुविधाएं बढ़ाये बिना आई०आर०डी०पी० की योजनाएं लागू करने के लिये बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण उन्हें कई बार तो बैंक अधिकारियों की सलाह लिये बिना और घर-घर निरीक्षण किये बिना स्वयं ही लाभप्राप्तकर्ताओं को चुनना पड़ा।

तालमेल: विकास विभागों के बीच उचित तालमेल का अभाव न केवल योजना के कार्यान्वयन में ही है बल्कि उसके आगे भी बहुत कम है। अधिकांश लाभ प्राप्त करने वालों का घर-घर सर्वेक्षण न कर सकना, स्वयं इस बात का संकेत है कि शुरूआत से ही ब्लाक अधिकारी वर्ग और बैंक, अपनी गतिविधियों में उचित तालमेल नहीं कर सके। इस परिस्थिति में, यह कमी आगे भी बनी रही। विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्गों के बीच, बैंकों के बीच तथा ब्लाक अधिकारियों के बीच एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं। निम्नलिखित कारणों की वजह से बहुत-सी समस्याएं आई हैं:—

1. दूध देने वाले पशुओं की खरीद के लिये क्रय-समिति बनाना और दूध देने वाले पशुओं को खरीदने के लिये पशु बाजार में जाना।
2. उधार देने और उधार वापसी के लिये शिविर लगाना।
3. डी०आर०डी०ए० द्वारा बैंकों में सहायता राशि जमा कराने में विलम्ब होना।
4. दुधारू-पशु की मृत्यु हो जाने पर बीमा भुगतान करने के लिये कदम उठाना।
5. ब्लाक स्तर पर जायजा लेने के लिये बैठकें करना।

उपर्युक्त मामलों में किसी न किसी एजेंसी या विभाग का कोई अधिकारी अनुपस्थित रहता है और उसकी अनुपस्थिति में कार्य या तो कर लिया जाता है या फिर स्थगित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये बैंक प्रबन्धकों का पशु-चिकित्सकों पर कोई नियन्त्रण नहीं है और इस कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि दुधारू पशु खीरदते समय अथवा बीमा भुगतान तय करते समय, उनकी सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। कुछ अन्य समस्याएं भी ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं तथा विकास-कार्यकर्ताओं द्वारा बताई गई हैं, जैसे कि अपर्याप्त कर्मचारी, वाहनों की कमी आदि। कुछ लाभ प्राप्तकर्ताओं ने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की भी शिकायतें की हैं।

निगरानी: लाभप्राप्तकर्ता जिस धनराशि और काम की आशा करते हैं वह तभी सम्भव है यदि योजना ठीक प्रकार से लागू हुई हो। योजना का प्रभावी कार्यान्वयन कई बातों पर निर्भर है जैसे सुविधाओं की व्यवस्था, आवश्यक सामान की उपलब्धि, सेवाएं, बाजार में उत्पाद की बिक्री आदि। ये सब तभी सुनिश्चित होगा जब विभागीय गतिविधियों के बीच उचित तालमेल बनेगा और काम निर्धनों की सेवाभाव से किया जायेगा। ब्लाक स्तर और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी अपने-अपने उच्च अधिकारियों को आई०आर०डी०पी० के कार्यों की रिपोर्ट भेजते हैं। राज्य या डी०आर०डी०ए० कुछ लक्ष्य निश्चित करते हैं और निर्देश देते हैं। सत्य तो यह है कि आई०आर०डी०पी० की सफलता इससे आंकी जाती है कि कितनी धनराशि बांटी गयी और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए। लाभप्राप्त करने वालों ने ऋण का किस प्रकार उपयोग किया और किस हद तक उनकी आय में वृद्धि हुई और उनके रोजगार का स्तर बढ़ा, इस बात की बहुत कम जांच की जाती है। ऋण देने के बाद की सहायता और सेवाओं के बारे में लाभप्राप्तकर्ताओं से मिली जानकारी से पता चलता है कि ये योजनायें ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं।

लघु भूसिंचन योजना: लघु सिंचाई ऋण से या तो सिंचन क्षेत्र बढ़ा सकते हैं या उपज बढ़ाने के लिए सिंचन सुविधा दे सकते हैं या दोनों ही कार्य हो सकते हैं। परन्तु उपज बढ़ाने के लिये निर्धन कृषकों को और अन्य सहायता की भी आवश्यकता है जैसे उपज ऋण और अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिये कृषि, सेवा सहकारी समितियों और विस्तार कार्यकर्ताओं की सहायता, नयी तकनीक अपनाकर उपज बढ़ाने के लिए सहायता। इस सामान और सेवाओं को पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर दिलाने की व्यवस्था से ही निर्धन कृषकों को उपज वृद्धि का आश्वासन मिल सकता है। बिचौलियों को हटाकर मंडी में उपज भेजने की व्यवस्था, दूसरा कदम है जिससे निर्धन किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सकता है।

अध्ययन से पता चला कि ब्लाक संख्या 1, ब्लाक संख्या 2 से अच्छी स्थिति में है। ब्लाक संख्या 1 में आधे से अधिक छोटे और सीमांत कृषकों ने उपज ऋण लिये (लघु सिंचन ऋणों के बाद) और ब्लाक 2 में केवल 30 प्रतिशत ने लिये। बैंक अधिकारियों के पर्याप्त दौरे नहीं हैं और विस्तार – कार्यकर्ताओं ने सीमांत की तुलना में छोटे कृषकों के यहां अधिक दौरे किए। क्षेत्र में यह देखा गया कि विकास कार्यकर्ताओं का मध्यम और बड़े कृषकों के प्रति झुकाव है और वे लघु और सीमांत कृषकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। चुने गये लाभप्राप्तकर्ताओं ने कृषि सेवा सहकारी समितियों से जो सहायता ली, वह हालांकि अति आवश्यक है पर सन्तोषजनक नहीं। चूंकि ये समितियां धनी और मध्यम श्रेणी के कृषकों द्वारा नियन्त्रित हैं इसलिये छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच इस तक या तो बहुत कम है या न के बराबर है। और यही हाल दूसरे विभागों का है जो कि लघु सिंचन योजनाओं को लागू कराने में शामिल हैं। ऊपर के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि हालांकि लाभप्राप्तकर्ताओं को सिंचन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये ऋण दिये गये हैं परन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस योजना की सफलता के लिये दृढ़ता से बाद की सहायता नहीं दी गई।

दुग्ध व्यवसाय योजना: राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों के अंतर्गत लाभप्राप्त करने वालों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिये दुबारा ऋण दिये जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बैंक ऐसा करने में संकोच करते हैं। अधिकांश लाभप्राप्तकर्ता ब्लाक संख्या 1 में और कृषि-मजदूर ब्लाक संख्या 2 में दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य हैं, लेकिन छोटे और सीमांत कृषकों का इन समितियों की सदस्यता का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है (ब्लाक संख्या 2 में 40 प्रतिशत)।

पशु चिकित्सक कम ही दौरे पर जाते हैं और लाभ प्राप्त करने वाले स्वयं ही पशुओं को आवश्यकता पड़ने पर पशु चिकित्सालय लेकर जाते हैं। दूध लेने के सिवाय ये समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लाभप्राप्तकर्ताओं की कोई अन्य सेवा नहीं कर रहीं हैं। दुग्ध खरीद समितियों से कोई अन्य सहायता पाने वालों का प्रतिशत बहुत कम अर्थात् केवल 15 प्रतिशत है। अधिकांश लाभप्राप्तकर्ताओं ने अपने-अपने पशुओं का बीमा इसलिये कराया है क्योंकि ये बीमा, पशु खरीदते समय आवश्यक हैं। परन्तु जो स्वयं ही पशु खरीदते हैं वे अपने पशुओं का बीमा नहीं कराते।

योजनाओं से लाभ: लघु भूसिंचन योजना के विषय में दोनों ब्लाकों के छोटे और सीमांत कृषकों ने बताया कि इस योजना से उनकी आय में वृद्धि हुई है। फिर भी इतनी वृद्धि नहीं हुई कि वे अपने ऋण सरलता से शीघ्र चुका सकें। रोजगार स्तर बढ़ाने के

स्तर के अनुकूल आय नहीं बढ़ी। इस तथ्य से पता चलता है कि उन्हें पूरी एवज़ी नहीं मिलती।

जहां तक दुग्ध व्यवसाय योजना का सम्बन्ध है स्थिति भिन्न है। ब्लाक संख्या 1 से ब्लाक संख्या 2 में छोटे और सीमांत कृषकों ने अच्छा परिणाम दिखाया है। ब्लाक संख्या 2 में, ब्लाक संख्या 1 के मुकाबले में आय में भी वृद्धि हुई है। रोजगार स्तर और सम्पत्ति की स्थिति में भी अधिक वृद्धि हुई है और अधिक लाभप्राप्तकर्ताओं ने ऋण चुकाये हैं। रोजगार स्तर में आय के मुकाबले में अधिक प्रतिशत वृद्धि होने का कारण यह है कि कुछ लाभप्राप्तकर्ताओं को घटिया पशु दिलवाये गये। कुछ मामलों में पशुओं को चारा डालने की व्यवस्था बहुत निकम्मी है और परिणामस्वरूप दूध की उपलब्धि में कमी आई।

इस दुग्ध व्यवसाय योजना के पश्चात, कृषि मजदूरों द्वारा प्राप्त लाभों पर, दृष्टि डाली जाये तो कुछ रोचक परिणाम सामने आये हैं। दोनों ब्लाकों में, रोजगार-स्तर में बहुत वृद्धि हुई है। परन्तु आय-वृद्धि ब्लाक संख्या 2 में ही अधिक हुई है। इससे विपरीत ब्लाक संख्या 1 में लाभप्राप्तकर्ताओं की सम्पत्ति की स्थिति में प्रशंसनीय सुधार हुआ है और ब्लाक संख्या 2 में बहुत कम। इसका कारण यह हो सकता है कि ब्लाक संख्या 1 में लगभग 48 प्रतिशत लाभप्राप्तकर्ताओं ने एक से अधिक दुधारू पशु प्राप्त किये जबकि ब्लाक संख्या 2 में केवल 16 प्रतिशत लाभप्राप्तकर्ताओं ने दूसरा ऋण लिया। सर्वेक्षण के दौरान यह भी पता चला कि मामलों में दूसरे ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता दी गई वह या तो पहले ऋण को चुकाने के रूप में चली गई या घटिया किस्म के पशु को खरीद कर या उसी पुराने पशु को नया खरीदा दिखाकर बराबर कर दी गई। यह आंकड़ों में दिखाया जा सकता है। केवल 23 प्रतिशत कृषि मजदूरों ने बताया कि उनकी आय में वृद्धि हुई है। परन्तु लगभग 46 प्रतिशत ने पूरे ऋण चुका दिये।

जैसा पहले कहा गया है, लाभप्राप्तकर्ताओं को दी गई सहायता से उत्पन्न आय बहुत कम है और यही कारण है कि उनमें से अधिकांश लोगों ने और अधिक सहायता की इच्छा प्रकट की। ब्लाक संख्या 2 में 75 प्रतिशत से अधिक छोटे किसानों ने और ब्लाक संख्या 1 में 58 प्रतिशत किसानों ने और अधिक सहायता की आवश्यकता प्रकट की। सीमांत कृषकों के मामले में यह प्रतिशत और अधिक है। कृषि मजदूरों में लगभग 79 प्रतिशत ब्लाक संख्या 1 में 89 प्रतिशत, ब्लाक संख्या 2 में अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधाने के लिये और अधिक सहायता चाहते थे।

निष्कर्ष: ग्रामीण निर्धनों को यह जानकारी देने की अत्यधिक आवश्यकता है कि ये विशेष योजनाएं उनके हित के लिये ही बनाई गई हैं। योजना लागू करने वाले कार्यकर्ताओं के उत्साहीन भाव में परिवर्तन करना होगा। घर-घर सर्वेक्षण करके ऋण शिविरों और ग्राम सभाओं आदि के जरिये ठीक लाभप्राप्तकर्ता को सहायता सुनिश्चित हो सकेगी। इस प्रकार के कार्यों से सबसे बड़े लाभ यह होंगे कि इनसे बिचौलिये हटेंगे और आर्थिक लाभ बेकार होने से बच सकेंगे। ग्राम-स्तर पर, विभिन्न विकास कार्यकर्ताओं द्वारा चुस्त और प्रभावशाली तालमेल बिठाकर, यह कार्य किया जा सकता है। ग्राम-स्तर कार्यकर्ता और ग्राम-विकास अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाना होगा। ग्राम-स्तर की समस्याएं, जिला-स्तर की समस्याओं से भिन्न हैं इसलिए कार्यक्रम की सफलता ग्राम स्तर की मशीनरी के प्रभावशाली तथा सक्षम पर निर्भर करती है।

ग्राम स्तर कार्यकर्ता के चुनाव में उनकी ट्रेनिंग, उनके काम की देखरेख, उनके कार्यों में हस्तक्षेप दूर करने आदि कदमों से योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है। जहां तक विकास विभागों और योजनाओं के निर्देशन में तालमेल का सम्बन्ध है, कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान ब्लाक स्तर के तंत्र को चुस्त करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण निम्न बातों पर बल दिया गया है:— 1. दूसरी सहायता के लिये व्यवस्था 2. प्रति लाभप्राप्तकर्ता की कुल सहायता बढ़ाकर 6000 रु० तक कर दी जाये 3. कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियों को, दूसरी ओर लगाने के लिये, गौण और सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत, लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए।

यह काम तभी सफल हो सकेगा जब विभिन्न विकास विभागों के सहयोग से प्रभावशाली योजना बनाई जायेगी। योजना के साथ-साथ निर्धनों को कार्यक्रम अपनाने में शिक्षा

शेष पृष्ठ 10 पर

भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : एक अवलोकन

डी.एस. ढिल्लो
एन.एस. सन्धु

1981 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 76 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और लगभग 70 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं। इतने लोगों को खेती से पूर्ण रोजगार नहीं मिल सकता इसलिए ग्रामीण जनसंख्या में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या विद्यमान है। जिसकी वजह से गरीबी पनपती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण लोगों के पिछड़ेपन पर गम्भीरता से विचार करने के बाद ग्रामीण गरीबी को दूर करने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कार्यक्रम शुरू किए थे। लेकिन ये कार्यक्रम गरीबी और बेरोजगारी दूर करने तथा उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां जुटाने में पूर्णरूप से सफल नहीं हुए।

इस दिशा में पहला कदम अक्तूबर, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के सहयोग और भागीदारी के माध्यम से गांवों का सामाजार्थिक विकास करना था। निर्णय लेने के कामों में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 1959 में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई और ग्राम पंचायत, खण्ड समिति तथा जिला परिषद की तीन खण्डीय प्रणाली स्थापित की गई थी। लेकिन सामुदायिक विकास कृषि उत्पादन बढ़ाने, अशिक्षा को दूर करने, बेरोजगारी की समस्या को हल करने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने में असफल रहा क्योंकि इसका ध्यान आर्थिक विकास की बजाय मूल आवश्यकताओं की ओर अधिक रहा और लोगों ने इसमें बराबर की भागीदारी अथवा पर्याप्त योगदान नहीं दिया और अधिकतर अधिकारी गांव के वातावरण से परिचित भी नहीं थे।

बाद में 1961, 1964 और 1966 में और कई कार्यक्रम शुरू किये गये थे जिसके अन्तर्गत देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया था। इनके काफी अच्छे परिणाम निकले और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बड़े किसानों को जितना ऋण दिया जाना चाहिए था उससे अधिक ऋण दिया गया जबकि छोटे किसानों को कम ऋण दिया गया। इस समिति की सिफारिश पर 1971-72 में छोटे तथा सीमान्त किसानों के विकास के लिए और कृषि श्रमिकों की समस्या की सुनवाई करने के लिए एजेंसियां बनाई गई जिन्होंने इन लोगों की आय में सुधार लाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये। लेकिन सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने अथवा गरीबों की स्थिति में सुधार करने में इन एजेंसियों के कार्यों के कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले।

1971-75 के दौरान किए गए अध्ययन से भी यह पता चला था कि इन कार्यक्रमों से छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की तुलना में बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ था। ऐसी स्थिति में चल रहे सभी ग्रामीण विकास कार्यों को समन्वित करके एक छत्र के नीचे लाने के विचार को भारी समर्थन मिला। परिणामस्वरूप, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 1975 के अधिवेशन में समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना को भारी समर्थन मिला। समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए मानदण्डों का सुझाव देने और प्रत्येक राज्य में से कम से कम एक जिले को विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए चुनने के लिए मई, 1976 में

एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया था जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास विभाग, योजना आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि थे। इस दल ने कार्यक्रम के लिए जिलों का चुनाव करने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड का सुझाव दिया :–

क. ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जिले जिनमें विकास की काफी सम्भावना है,

ख. ऐसे जिले, जिनमें बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्यायें अधिक जटिल हैं,

ग. ऐसे जिले, जिनमें पहले से आधारभूत विकास ढांचे उपलब्ध हैं, और

घ. ऐसे जिले, जिनमें वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय संस्थान पहले से कार्य कर रहें है अथवा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उन तक पहुंचना आसान है।

उपरोक्त मानदण्ड का पालन करते हुए वर्ष 1976-77 में कार्यक्रम को 15 करोड़ रुपये की तदर्थ बजट व्यवस्थ से प्रायोगिक आधार पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 चुने हुए जिलों में शुरू किया गया था ताकि इन जिलों से प्राप्त होने वाले अनुभव को देश के अन्य भागों में प्रयोग में लाया जा सके। बाद में 1978-79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू में 2300 खण्डों में शुरू किया गया था और कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष 300 और खण्डों में बढ़ाना था। 2 अक्तूबर, 1980 से कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी 5011 विकास खण्डों में कर दिया गया था।

मुख्य उद्देश्य

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों के रहन सहन के स्तर को उन्हें आय सृजित करने वाली परिसम्पतियां और ऋण तथा अन्य साधन मुहैया कराकर सतत आधार पर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। लक्षित समूह में छोटे तथा सीमान्त किसान कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर तथा शिल्पकार अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोग आते हैं। वास्तव में कार्यक्रम के अन्तर्गत वे सभी परिवार आते हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या पांच अथवा अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम है।

नीति

प्रतिवर्ष प्रत्येक खण्ड से 600 परिवार चुने जाते हैं, जिनमें से कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जन जातियों के होते हैं तथा सहायता तथा ऋण की कुल राशि का 30 प्रतिशत इन लोगों के लिए निर्धारित होता है। इन 600 परिवारों में से 400 परिवारों को ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों और 100 परिवारों को नौकरी के क्षेत्र में कवर किया जाता है।

परिवारों का चयन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसे परिवारों का पता लगाया जाता है जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपये से कम है। सहायता दिए जाने वाले परिवार की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और इन परिवारों में से ऐसे परिवारों को पहले सहायता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 3500 रुपये तक है। अलग-अलग परिवार का चयन करने के बाद सम्बंधित लाभार्थी से परामर्श करके उचित आर्थिक कार्यों का चयन किया जाता है और योजनाएं बनाकर बैंकों को भेज दी जाती हैं। सहायता की सीमा छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए 33 1/3 प्रतिशत और आदिवासी परिवारों के लिए 50 प्रतिशत है।

सहायता पश्चात् निगरानी तथा मूल्यांकन

लाभार्थियों को दी गई प्रयोजनाओं के बाद विकास पत्रिका के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। विकास पत्रिका में सामान्य बातों, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, प्रशिक्षण आवश्यकताओं, औजारों, उपकरणों तथा कच्चे माल की सप्लाई और उनके प्रयोग के सम्बन्ध में आंकड़ों, अब तक दिए गए प्रशिक्षणऔर परियोजना के दौरान दिये जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में जानकारी होती है। निगरानी के लिए एक समय तालिका तैयार की जाती है। जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के पास दौरे की तारीख तथा सम्बंधित अधिकारियों के नाम दिये होते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार लाने और इसे कारगर बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के लाभ अपेक्षित लोगों तक पहुंचे, ग्रामीण विकास विभाग ने अक्तूबर, 1985 से सारे देश में 29 स्वतन्त्र प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं की सहायता से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का एक समवर्ती मूल्यांकन किया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रभाव देखने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (1985), भारतीय रिर्जव बैंक अध्ययन (1984), नाबार्ड अध्ययन (1987) वित्त प्रबन्ध एवं अनुसंधान संस्थान अध्ययन (1984), ग्रामीण विकास विभाग अध्ययन (1986-87) द्वारा पांच मूल्यांकन अध्ययन किए गए जिनमें पूरे भारत को शामिल किया गया है। निष्कर्षों से पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत दिए गए लाभों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लाभार्थियों को बढ़ती हुई आय हुई है, उन्होंने गरीबी की रेखा को पार किया है और गांव के समाज में उनका समग्र स्तर ऊंचा उठा है लेकिन ऋणों की वापसी अदायगी संतोषजनक नहीं है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुसूची पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अपात्र लाभार्थियों, जिन्हें सहायता दी गई है का प्रतिशत काफी अधिक है और 22 प्रतिशत मामलों में दी गई परिसम्पत्तियों से कोई बढ़ती हुई आय नहीं हुई है। अध्ययनों ने सहायता पूर्व और सहायता पश्चात् के अपर्याप्त तालमेल, फील्ड स्टाफ के अभाव, कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और मानदण्डों का पालन करने में अभाव, प्रशिक्षण की अल्प अवधियां और परिसम्पत्तियों की सप्लाई तथा रखरखाव में अनियमितताओं पर भी प्रकाश डाला गया है।

सातवीं योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :–

1. गरीबी की रेखा को 3500/- रुपये की वार्षिक आय से बढ़ाकर अब 6400/- रुपये कर दिया है लेकिन गरीबी की पहचान के लिए सीमान्त बिन्दु 4800/- रुपये वार्षिक आय को रखा गया है।
2. उन परिवारों को पुनः सहायता दी गई है जिन्हें छठी योजना में आर्थिक सहायता दी गई थी लेकिन वे गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सके थे।
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को अब बिना किसी सिक्योरिटी के 10 हजार रुपये का ऋण मिल सकता है।
4. निधियों के आबंटन और लक्ष्य निर्धारण की एकरूपता की नीति के स्थान पर प्रत्येक राज्य/खण्ड में गरीबी की स्थिति के अनुसार चयनात्मक आधार की नीति अपनाई जा रही है।
5. आई.आर.डी.पी. के प्रबन्ध को प्रभावशाली बनाने के लिए देश के 22 खण्डों को चुना गया है जहां लाभार्थियों द्वारा खरीद समिति के हस्तक्षेप के बिना परिसम्पत्तियां सीधे ही प्राप्त की जाएंगी।
6. विकास प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।
7. महिला लाभार्थियों की कवरेज को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
8. इस बात पर बल दिया गया है कि लाभार्थियों के चयन में जनता के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक शामिल किया जाए।
9. बैंको के कार्यों में बुनियादी स्तर पर सुधार किया गया है।
10. राज्य के मुख्यालय में आन्तरिक आडिट सैल स्थापित करने और राज्य स्तर की समन्वय समिति के अनुमोदन के अधिकारों को जिला ग्रामीण एजेंसियों की शासी निकाय को देने का निर्णय लिया गया है।
11. ऋणों को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए, जहां बैंक सुविधाएं नहीं हैं वहां बैंक राज्य सरकार की गारन्टी पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी को निधियां दे सकते हैं जो लाभार्थियों को ऋणों का वितरण करेंगी।
12. सबसिडी के समायोजन में देरी को समाप्त करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को 15 दिन का नोटिस देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
13. बैंकों द्वारा ऋण वितरण को महीने में दो बार से बढ़ा कर चार बार कर दिया गया है।
14. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने और उन्हें सूचना देने की गति को तेज करने के लिए सभी ग्रामीण विकास एजेंसियों में टैलेक्स की सुविधाएं प्रदान की जा रहीं हैं।
15. राज्य सरकारों को प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के साथ सतर्कता सैल बनाने की सलाह दी गई है जो हर महीने मिलने वाली रिपोर्टों और ऊपर की गई कार्यवाही को राज्य के मुख्यालय/केन्द्र सरकार को सूचित करेंगे।
16. कुछ चुनिन्दा जिलों के लिए प्रायोगिक आधार पर माडल परियोजनाएं बनाने के लिए विशेष दल गठित किए जा रहे हैं।
17. लाभार्थियों को विशेष रूप से कच्चा माल प्राप्त करने और

तैयार माल का विपणन करने तथा तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला सप्लाई विपणन एजेंसी गठित की जा रही हैं।

कार्यक्रम की कमियां

1. आर.एल.ई.जी.पी. और एन.आर.ई.पी. जैसे अन्य कार्यक्रमों की मार्फत किए जा रहे कार्यों को न तो आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत सहायता के लिए चुने गए परिवारों की आवश्यकताओं के साथ समन्वित किया जाता है और न ही उनमें कोई तालमेल रखा जाता है।
2. खण्ड तथा जिला स्तर पर अपेक्षित सुयोग्य स्टाफ के रूप में और साथ ही दूसरे अन्य विभागों जैसे कृषि, बागवानी, मछलीपालन, पशुपालन, जिला उद्योग, केन्द्रीय विभागों और बैंकों आदि का जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और खण्ड स्तर के अधिकारियों के बीच तालमेल रखने में प्रशासनिक कमजोरी।
3. खण्डों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के नियंत्रण में स्टाफ नहीं है। इसके अलावा वाहन आदि न होने के कारण ही लाभार्थियों के पास मौके पर बार-बार दौरा नहीं कर पाते।
4. विभिन्न स्तरों पर जल्दी-जल्दी तबादले और परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के प्रभारी जैसे मुख्य पदों के खाली रहने के कारण प्रशासनिक ढांचे की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
5. सहायता से पहले और सहायता पश्चात् तालमेल नहीं है। कच्चे माल की सप्लाई और तैयार माल के विपणन, जो कि कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं, के लिए संस्थागत समर्थन देने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए गए हैं।
6. ऋणों के आवेदनों की पर्याप्त जांच करने तथा उनका निपटान करने के लिए बैंकिंग ढांचा काफी नहीं है जिससे ऋण का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। सिक्योरिटी की मांग करने और पर्यवेक्षण की कमी के कारण लक्षित समूह में से निर्धनतम लोग लाभों से वंचित रह जाते हैं।
7. वास्तविक गरीबों को कवर करने की बजाय ऐसे लाभार्थियों का गलत चयन किया गया है जो पहले ही गरीबी की रेखा को पार कर चुके हैं।
8. लाभार्थियों का चयन आमतौर पर बुनियादी स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है न कि ग्राम सभा द्वारा।
9. परियोजना स्वीकृत करने से पहले लाभार्थियों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसके अलावा ऋण तथा राहत देने में भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी विद्यमान है।
10. अधिकांश लाभार्थियों को परिसम्पत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव सुविधाएं तथा बाद की देखभाल के लिए सरकारी एजेंसियों का समर्थन नहीं मिलता।
11. कुछ मामलों में लाभार्थियों के लिए अनुपयुक्त/गलत योजनाओं के चयन के कारण परिसम्पत्तियों से कोई बढ़ती हुई आय नहीं हुई जो कि बहुत चिन्ताजनक बात है।
12. लाभार्थियों और कार्यों के चुनाव में सामूहिक नीति नहीं अपनायी गई है।
13. स्वास्थ्य, शिक्षा और पशुचिकित्सा सेवाओं के कोई कार्यक्रम नहीं है।
14. द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में रोजगार की स्थापना के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए हैं जबकि भूमि पर से भार को कम करने के लिए ऐसा कदम उठाना अधिक आवश्यक है।
15. कार्यक्रम के सबसे कमजोर पहलू अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी का अभाव है।

सुझाव

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों और उनकी गतिविधियों के चुनाव में सामूहित नीति अपनायी जानी चाहिए।
2. सभी राज्यों में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करके राज्य, जिला और विशेष रूप से खण्ड स्तरों पर निगरानी प्रबन्धों को कारगर बनाया जाना चाहिए।
3. लाभार्थियों के लिए सहायता पश्चात् देखरेख और अतिदेयताओं की ऊंची प्रतिशत को रोकने के लिए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में पर्याप्त स्टाफ मुहैया कराने के प्रयास किए जाने चाहिए।
4. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और विकास विभागों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि के बीच समन्वय और तालमेल को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है।
5. परियोजना को शुरू करने से पूर्व ही लाभार्थियों और साथ ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों एवं विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहिए।

6. लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे योजना का सही रूप में पूरा लाभ उठाएं।
7. कच्चा माल खरीदने और लाभार्थियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का विपणन करने के लिए संस्थागत सहयोग प्रदान करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।
8. लाभार्थियों के चयन में लोगों के प्रतिनिधियों को और सन्निकटता से शामिल किया जाना चाहिए ताकि वास्तव में गरीब लोगों का चुनाव हो सके।
9. जैसा कि भारत सरकार ने सुझाव दिया है, लाभार्थी द्वारा सहायता के भाग के लिए एक बाण्ड भरा जाना चाहिए ताकि सबसिडी का दुरूपयोग न हो सके। राज्य सरकारों को स्थानीय कानूनों के तहत इन व्यवस्था को लागू करना चाहिए।
10. यदि कोई लाभार्थी अपने परिवार के आर्थिक स्तर के बारे में वास्तविकता को छिपा कर लाभ प्राप्त करता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। जहां ऐसे मामलों में अधिकारियों की मिली भगत पाई जाए, वहां दोषी अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।
11. इन बात का जायजा लेने के लिए कि परिसम्पत्तियां सही हैं अथवा नहीं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मौके पर जाकर वार्षिक जांच करना चाहिए।
12. सरकार को मुख्य अधिकारियों के जल्दी-जल्दी तबादलों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए ताकि काम में बाधा न आए।
13. लाभार्थियों के बीमा दावों के निपटान और भुगतान की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए।
14. समय-समय पर बैंक स्टाफ स्थिति का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया सम्बंधी होने वाली देरी को रोका जा सके।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में ऐसे संगठनों द्वारा चलाए जाने वाली परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था की जाती है।
16. ऋणों की स्वीकृति के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार को कैम्प लगाने चाहिए ताकि इस काम में लाभार्थियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

अनुवाद -- किरण गुप्ता

पृष्ठ 5 का शेष

देना, उन्हें समझाना, दी गई सहायता को भली प्रकार कार्य में लाना और बाद में सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना आदि कुछ कदम आवश्यक हैं, आई०आर०डी०पी० को लागू करने में। आई०आर०डी०पी० योजना लागू करने में सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने से ही ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक दशा स्थायी तौर पर सुधारी जा सकेगी। ऐसा न होने पर न केवल गरीबी की रेखा पार करने वाले लाभप्राप्तकर्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा, अपितु इससे कर्जे की बकाया राशि भी बढ़ जायेगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और यदि अच्छे खासे खाते-पीते लोगों को वे लाभ, जोकि निर्धनों के लिये हैं, हड़प लेने की प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता बढ़ती जायेगी।

अनुवाद : (श्रीमती) शांता
कौशैल्या अपार्टमैंट, हौसखास, नई दिल्ली

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
गरीबी निवारण का एक दार्शनिक कार्यक्रम

सत्यानन्द गुप्ता

भारत की आजादी के बाद हमारी प्रजातांत्रिक सरकार का उद्देश्य देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना रहा है। देश की जनता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु 1952 से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को गतिशील करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।

जैसा कि हम जानते हैं कि देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनता गांवों में निवास करती है इसलिये भारत को यदि गांवों का देश कह लिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगा। गांवों के लोग पारम्परिक तरीके से अपनी आय का सृजन करते हैं जो उनकी निर्धनता को ही दूर करने के लिये प्रयाप्त नहीं है। गांव के लोग बन्धुवा मजदूर की जिन्दगी जीते हुये निर्धनता से जूझते रहते हैं।

1971-72 में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि देश की लगभग 51 प्रतिशत जनता 2800 कैलोरीज से भी नीचे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पाकर जीने की कोशिश कर रही है और पाँच व्यक्तियों की एक ईकाई का यदि परिवार मान लिया जाये तो उस परिवार हेतु औसतन उपरोक्त कैलोरीज की कीमत का मूँल्यांकन लगभग रु० 3500 प्रति परिवार आता था अर्थात् रु० 3500 से कम प्रति परिवार प्रति वर्ष आय प्राप्त करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार माने गये। (छठी योजना के अनुसार)

उपरोक्त वर्णित परिवारों के उत्थान हेतु हमारी सरकार ने सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाये यथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.ए.डी.पी.), कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.पी.), लघु विकास कार्यक्रम (एस.एफ.डी.ए.) इत्यादि।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का उदय

ऊपर लिखे क्षेत्रीय कार्यक्रमों का गरीबी हेतु कोई सीधा असर गरीबों एवं गांवों पर नहीं पड़ा एवं इनके क्रियान्वयन में बहुत त्रुटियाँ थीं। साथ मात्र क्षेत्र विशेष ही इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो पाता था, परिकल्पना को साकार करने के लिये सर्वप्रथम 1978-79 में भारतवर्ष के 5011 में से मात्र 2300 चुने हुये विकास खण्डों में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम चलाया गया जिसके बहुत फलदायी परिणाम निकले एवं गरीबों को यह बहुत ही उपयुक्त साबित हुआ। अतः इसके स्थायी असर की परिकल्पना को दृष्टिगत करते हुये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर 2 अक्तूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत के समस्त 5011 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न दिशा निर्देशों के आधार पर हम इस कार्यक्रम का उद्देश्य विवरण एवं क्रियान्वयन निम्न रूप से दे रहे हैं –

कार्यक्रम का उद्देश्य

1. लक्षित चयनित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के उचित अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।
3. गरीब एवं अमीर के बीच असन्तुलन को कम करना।

कार्यक्रम हेतु लक्षित वर्ग

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार के लक्षित वर्गों में से लाभांवित करने हेतु चयन किया जायेगा।

अ: **लघु कृषक** – ऐसे कृषिक जिनकी सिंचित भूमि 5 एकड़ है असिंचित भूमि की दशा में 7.5 एकड़ से अधिक के स्वामी न हो।

ब: **सीमान्त कृषक** – जिनकी सिंचित भूमि 2.5 एकड़ से कम और असिंचित भूमि 5 एकड़ से कम हो।

स: **कृषि मजदूर** – जिनकी कुल आय का 50% से अधिक आय कृषि मजदूरी से हो।

द: **ग्रामीण शिल्पी एवं दस्तकार** – जो अपने परंपरागत पेशे में हो।

य: **कृषक मजदूर** – जिनकी कुल आय का 50 प्रतिशत से अधिक आय अकृषि मजदूरी से हो या रु० 200 प्रति माह आय अकृषि कार्य से हो।

र: **अनुसूचित जाति/जनजाति**

कार्यक्रम की आवश्यकता

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं जो निम्न हैं:–

1. अब तक किये गये विकास कार्यक्रमों का लाभ विकसित क्षेत्रों को ही मिला। अतः ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नत बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया।
2. क्षेत्रीय कार्यक्रमों ने मात्र क्षेत्र विशेष हेतु कार्य किया जिनका ग्रामीण निर्धनों पर कोई स्थायी असर नहीं हुआ।
3. तीसरी आवश्यकता इस कार्यक्रम की यह हुई कि गरीबी पर सीधा प्रहार कर उसे जड़ से समाप्त किया जाये अतः लक्षित वर्ग से उनकी गरीबी को दूर करने के लिए उनका क्रमवार चयन हो तथा निर्धनता को दूर करने के लिए निम्न उपकरणों का उपयोग किया जाए:–
    1. ऋण
    2. निवेश
    3. अनुदान
    4. बाजार की उपलब्धता

उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उन परिवारों को इस कार्यक्रम में लाभांवित करना है जिनका सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु० 3500 प्रतिवर्ष से कम है। (छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये – आदेशों के साथ-साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सम्बन्धी आदेशों के आधार पर हम कार्यक्रम के क्रिन्यान्वयन के दिशा निर्देशों को पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं।

1. लाभार्थियों का चयन।
2. परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन।
3. निवेश की आपूर्ति के साथ-साथ चयनित परियोजनाओं हेतु सहायक सेवाओं की व्यवस्था।
4. ऋण वितरण एवं अनुदान अवमुक्ति की प्रक्रियां।
5. लाभार्थियों को दिये गये परिसंपत्तियों एवं कार्यक्रम का अनुश्रवण।

1. लाभार्थियों का चयन

विकास खण्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार का व्यापक सर्वेक्षण कर परिवारों को उनके व्यवसाय एवं आय के आधार पर श्रेणीबद्ध करेंगे और लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा की खुली बैठक में सम्पन्न किया जायेगा। चयन की प्रक्रिया सातवीं पंचवर्षीय योजना में दो भागों में विभक्त कर दी गई है:– (i) पहले के लाभार्थी जिन्हें 1980-81, 81-82, 82-83 में लाभान्वित कराया गया था किन्तु वे गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सके हैं, इसका कारण उनके लिये चयनित व्यवसाय उनके अनुकूल नहीं हो सकता है या परियोजना लागत से कम की आपूर्ति इत्यादि जो गरीबी रेखा से ऊपर उठने में बाधक बनी। इन कारणों को ध्यान में रखकर चयन किया जायेगा। (ii) नये लाभार्थियों का चयन भी इसी खुली बैठक में किया जायेगा।

इस तरह चयनित लाभार्थियों की अन्तिम सूची खण्ड विकास अधिकारी/परगना अधिकारी के पर्यवेक्षक में तैयार कर उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और इस सूची को विकास खण्ड, समाचार पत्र एवं प्रमुख स्थानों पर प्रकाशित कर दिया जायेगा। चयन की प्रक्रिया के पूर्व व्यापक प्रचार/प्रसार भी किया जायेगा। इस सूची में समय-समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है।

2. परियोजना/गतिविधियों का चयन

उपरोक्त खुली बैठक में लाभार्थियों के अनुसार उनके लिये उचित गतिविधियों का भी चयन किया जायेगा। ये गतिविधियां या व्यवसाय की परियोजना लागत नाबार्ड के मानदण्डों के अनुसार निश्चित की जायेंगी। गतिविधियों का चयन करते समय यह भी ध्यान रखा जायेगा कि जनपद में उसके लिये निवेश एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है या नहीं तथा ये गतिविधियां आय वर्धक हैं या नहीं। गतिविधियां सम्पूर्ण

परिवार हेतु होनी चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि गतिविधियां हेतु उचित बाजार की व्यवस्था हैं या नहीं इत्यादि।

3. चयनित परियोजनाओं हेतु निवेश एवं अन्य सहायक सेवाओं की व्यवस्था

चयनित परियोजनाओं हेतु उत्तम गुणवत्ता की परिसम्पत्तियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए कुछ दूकानदारों का चयन किया जायेगा जो उत्तम क्षमता/गुणवत्ता के सामानों की बिक्री करते हैं, उन्हीं से आपूर्ति की जायेगी तथा लाभार्थियों के गांवों के पास आसानी से उपलब्ध हो सके।

इस सम्बन्ध में जिला ग्राम्य विकास अधिकरण जनपद के अन्य विकास अधिकरणों के साथ-साथ जिला उद्योग केन्द्र आदि संस्थाओं से समन्वयन करेगी। परियोजनाओं के सफल-संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धियाँ भी सुनिश्चित की जायेंगी।

4. ऋण संवितरण एवं अनुदान अवमुक्ति की प्रक्रिया

विकास खण्डों द्वारा लाभार्थियों से सम्पर्क स्थापित कर उनके ऋण आवेदन पत्र लेकर संबंधित बैंक की शाखाओं में प्रेषित किया जायेगा। बैंक अधिकारी इन आवेदन पत्रों का निपटान प्राप्ति के 15 दिन के भीतर कर ऋण वितरण सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पर रु० 10,000 से अधिक है तो इसके लिये वे एक माह का समय ले सकते हैं। ऋण वितरण के साथ ही साथ लाभार्थियों के अनुसार अनुदान की अवमुक्ति अधिकरण द्वारा पहले ही से खोले गये बचत खाते के माध्यम से कर दी जायेगी। अनुदान अवमुक्ति की प्रक्रिया निम्न होगी :–

लघु कृषक हेतु;	25 प्रतिशत
अन्य लोगों हेतु एवं	33½ प्रतिशत
अनुसुचित जाति/जनजाति हेतु	50 प्रतिशत

ऋण संवितरण के पश्चात् बैंक लाभार्थियों को ऋण पास बुक देना भी सुनिश्चित करेंगे। जिसमें लाभार्थी का पूर्ण विवरण रहेगा।

बैंक की शाखायें अभिकरण के बचत खाते का पाक्षिक विवरण अभिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। बैंकों द्वारा ऋण आवेदन रजिस्टर को भी शाखा पर रखना होगा जिससे संवितरण/स्वीकृति की सूचना उपलब्ध हो सके।

भौतिक सत्यापन अनुश्रवण

ऋण वितरण के पश्चात् समय से प्रगति की सूचना सम्बन्धित कार्यालयों को भेजी जायेगी। समय-समय पर परगनाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं बैंक के अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना का उपयोग सही ढंग से हो रहा है। अपने सत्यापन संबंधी टिप्पणी के लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये विकास पत्रिका के नियत स्थान पर अंकित कर देंगे।

अन्त में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्यवन हेतु समय-समय पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि योजना का लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है या नहीं। अनुश्रवण शिविरों की व्यवस्था भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत है।

इसमें कोई शक नहीं कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस समय सम्पूर्ण देश में सफलतापूर्वक लागू है और गरीबी को उत्तरोत्तर समाप्त करने की प्रक्रिया में योगदान दे रहा है। वह समय दूर नहीं जब हम गांधीजी के सपनों को साकार करेगें। देश का हर व्यक्ति, हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिवर्तन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लाभार्थियों के स्तर पर एवं आय का पुनरीक्षण भारतीय सेम्पल द्वारा करने के पश्चात् जो सुझाव दिये गये उनके आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु जो परिवर्तन लागू किये हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

1. सम्पूर्ण भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आई.आर.डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत दो करोड़ परिवारों को उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जायेगा। जिसमें से आधे से अधिक परिवारों को पूरक सहायता हेतु जो छठी पंचवर्षीय योजना के हैं, को लिया जायेगा।

2. सभी स्रोतों से गरीबी रेखा का निर्धारण करने हेतु पारिवारिक आय रु० 6400 प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी और इसी के आधार पर परिवारों का चयन किया जायेगा। किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मात्रा उन परिवारों को दी जायेगी जिन की आय सभी स्रोतों से 4800 रु० वार्षिक से अधिक नहीं है।

चयन हेतु अन्त्तोदय के नियम को लागू किया जायेगा अर्थात् पहले 3500 रु० वार्षिक आय से नीचे वाले परिवारों को लाभांवित किया जायेगा, तत्पश्चात 3501 रुपये से 6400 रु० के बीच आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। 3501 से 6400 के बीच आय वर्ग को अभिकरण को एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसके सत्यापन के बाद वास्तविकता की जाँच की जायेगी।

3. विभिन्न आय वर्ग को कितनी लागत की परियोजना दी जाए कि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। भारतीय सैम्पल सर्वे द्वारा प्रयुक्त परियोजना लागत का चार्ट निम्न प्रकार है:—

वर्ग		प्रतिवर्ष पारिवारिक आय वर्ग रुपये	परियोजना लागत रुपये
1.	असहाय वर्ग	0 से 2265	14000/-
2.	अत्यधिक निर्धन वर्ग	2266 से 3500	9500/-
3.	अतिनिर्धन वर्ग	3501 से 5000	5800/-
4.	निर्धन	5000 से 6401	1900/-

4. (क) वार्षिक कार्यकारी योजना में राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों हेतु 1986 में जो योजना तैयार की जायेगी उसको सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 4 वर्षों में निम्नवत रूप में विकसित किया जायेगा। फरवरी 1986 तक छठी पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन साल में लाभांवित कराये गये परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया जायेगा। जिससे कि 1 अप्रैल 1986 से उन्हें पूरक सहायता हेतु चयनित किया जायेगा ताकि उन्हें 1986-87 में सहायता दी जा सके।

(ख) आवश्यकतानुसार एक परिवार के अन्य सदस्यों को भी योजना में लिया जा सकता है एवं एक से अधिक गतिविधियों से लाभांवित कराया जा सकता है।

(ग) जिला स्तरीय योजना उपक्षेत्र की परियोजनाओं के आधार पर एवं स्थानीय उत्पादकता को देखते हुये बनाया जायेगा और इसमें आर्थिक गतिविधियों का समावेश किया जायेगा जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष यानि मार्च 1986 तक पूर्ण कर लिया जाये।

(घ) योजना निर्धारण का विवेकीकरण क्षेत्रीय कार्यक्रमों के योगदान को देखते हुये यथा-विशेष कार्यक्रम बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम, हैण्डलूम और हथकरघा एवं रेशम के कीड़े पालने के कार्यक्रम को भी आई.आर.डी. कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। बाढ़ आपरेशन के अन्तर्गत उन लाभार्थियों का ध्यान रखा जायेगा जिन्होंने दुधारू पशुओं हेतु ऋण लिया है।

(च) आधारभूत सुविधाओं को प्रदत्त करने हेतु एक उपयोजना भी तैयार की जायेगी जोकि जिला स्तरीय योजना का एक अंग होगी और यह उपयोजना आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित करेगी। निवेश की आपूर्ति एवं बाजार की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। किसी भी दशा में उन गतिविधियों को नहीं लिया जायेगा जिनके लिए उपादानों का अभाव है।

इस वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ निर्धन से निर्धनतर परिवारों को दिया जाए जिससे कि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें और उनके लिये ऐसी गतिविधियों का चुनाव न किया जाये जिसके लिये आधारभूत सुविधायें एवं उपादानों का अभाव है।

उपरोक्त के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। इस में कोई दो राय नहीं कि यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना को उचित रूप से क्रियान्वित किया जाये तो भारतवर्ष की गरीबी बहुत हद तक दूर हो सकती है।

रिसर्च एसोसिएट
कृषि अर्थशास्त्र विभाग
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर-2

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समस्यायें तथा संभावनायें

एस. के. सांत्रा, रीडर
एस. मंडल, रिसर्च स्कालर
कृषि विस्तार विभाग,
विधान चन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय
पश्चिम बंगाल

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ में 1978-79 में देश के 2300 सामुदायिक विकास खंडों में आरंभ किया गया था। बाद में इसे देश के सभी खण्डों में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि संबद्ध लोगों के लिये ऐसी उत्पादक परिसम्पत्तियां व रोजगार जुटाये जायें जिससे उन्हें पहले से अधिक आय हो सके और उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। यह कार्यक्रम अनुसूचित जातियों, जन जातियों, कृषि तथा गैर-कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, सीमांत तथा छोटे किसानों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लाभ तथा सहायता के लिये चलाया जा रहा है। जिस परिवार की कुल वार्षिक आय 3500 रुपये से कम है, उसे गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता था।

प्रत्येक वर्ष समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम समूहों का चयन किया जाता है और इनमें फिर कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इन गांवों का चयन वहां मौजूद मूल व्यवस्था, लोगों की ऋण का उपयोग कर सकने की क्षमता, ऋणदायी संस्था की उपस्थिति, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की संख्या, क्षेत्र में विस्तार सेवाओं की स्थिति जैसी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता घर-घर जाकर लगाया जाता है।

इस कार्यक्रम की उपयोगिता और प्रभाव के बारे में हमने पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के चकदाह खण्ड के चार चुने हुए गांवों में एक अध्ययन किया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने मिलकर 1980-81 में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के जरिये निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर आरंभ किया था :–

1. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में जमीन, पानी आदि के बेहतर उपयोग से उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना।
2. लाभार्थियों के संसाधन व आय में वृद्धि करना।
3. विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिये नये उत्पादक संसाधनों को उपलब्ध कराना।

यह कार्यक्रम इन चार गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है। जिन लोगों के लिये यह कार्यक्रम चलाया गया, वे इसमें शामिल नहीं हो पाये क्योंकि गांवों के अमीर लोगों और राजनीतिक दलों के दबदबे ने इस कार्यक्रम से इन लोगों को दूर रखा। कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के हकदार लोगों की सूची पंचायत समिति ने बनायी और आमतौर पर इन्होंने अपने ही लोगों के नाम जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को भेजे। उन अनेक लोगों को इस कार्यक्रम में कोई भरोसा नहीं था जिन्हें इसका लाभ मिलना था।

हमने इस कार्यक्रम की सफलता तथा इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के बारे में भी अध्ययन किया। हम ऐसे 70 लोगों के पास गये। इन लोगों को

कई तरह की योजनाओं के तहत सहायता दी गयी थी जैसाकि ठेला रिक्शा, सवारी रिक्शा, बैलगाड़ी, मछली पकड़ने का सामान, बाल्टी बनाना, छतरी मरम्मत, सिलाई मशीन, बैल, बकरी, बत्तख, धान की सफाई, किराना, बीड़ी बनाना आदि। अध्ययन से पता चला कि केवल 50 प्रतिशत लाभार्थी ही कुछ सीमा तक अपनी आर्थिक स्थिति सुधार पाये हैं।

ठेला रिक्शा, सवारी रिक्शा, बैलगाड़ी, मछली पकड़ने का सामान, बाल्टी बनाने, छतरी मरम्मत, सिलाई मशीन की सहायता पाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार इसलिये हुआ था क्योंकि इन्होंने नया सामान, सहायता लेकर खुद मेहनत की और अन्य सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहे। लेकिन जिन लोगों को बैल, बकरी, बत्तख, चावल की सफाई, किराना, बीड़ी बनाने जैसी सहायता मिली थी वे अपनी हालत नहीं सुधार पाये क्योंकि इन कामों में आवश्यक दूसरी सहायता सुविधा नहीं मिली। उदाहरण के लिये इन लोगों को बैल, बकरी और बत्तख तो दे दी गयीं लेकिन उनके लिए चारे और चिकित्सा सुविधा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, बकरी, बत्तख, बैल चिकित्सा सहायता के अभाव में मर गये। इस प्रकार, मूल व्यवस्था सुविधा के न होने के कारण यह योजना विफल हो गयी।

कुछ मामलों में इस कार्यक्रम से लाभ पाने वाले लोगों ने स्वयं ही बता दिया कि उन्हें जो वित्तीय सहायता विशेष काम के लिये मिली थी उसे उन्होंने दूसरे अनुत्पादक कामों पर खर्च कर दिया। कुछ लोगों ने यह राशि अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज, लड़की की शादी, बहन की शादी या पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च कर दी।

इन लोगों को कार्यक्रम के तहत सहायता राशि पंचायत समिति के माध्यम से दी गयी लेकिन इसके उपयोग के बारे में या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में कोई जांच या देखरेख न तो पंचायत समिति ने की और न ही जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने। इसके अतिरिक्त लोगों में कार्यक्रम के बारे में जानकारी इतनी कम और इसके प्रति दृष्टिकोण इतना उदासीन था कि उन्हें इसका उद्देश्य तथा कामकाज बिल्कुल समझ में नहीं आया। इस कारण लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत मिली राशि का इस्तेमाल अनुत्पादक कामों में किया।

हमारे विचार में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि नियोजन प्रशासक तथा कार्यक्रम परिपालक निम्नलिखित पर गौर करें:—

1. जब तक इस कार्यक्रम को भूमि सुधार तथा अन्य विकासोन्मुखी कार्यों से पूरी तरह समन्वित नहीं किया जाता, तब तक ग्रामीण गरीबी व बेरोजगारी की विकट समस्या हल नहीं हो सकती।
2. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को चाहिए कि वह गांवों में गरीबी दूर करने के लिये वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर काम करने का दृष्टिकोण जारी रखे या फिर सारे ग्रामीण समुदाय को ध्यान में रखकर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाये।
3. ग्राम पंचायतों को स्वयं निर्णय लेने और काम चलाने के अधिक अधिकार दिये जायें जिससे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विकेंद्रीकरण हो और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलाया जा सके।
4. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के लिए विकासोन्मुख अथवा योजनागत दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए।
5. प्रभाव की दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक विशेषता यह हो सकती है कि वह पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं है और व्यक्ति खुद ही साधन जुटा सकता है। दूसरी ओर कार्य दक्षता व कार्य प्रशिक्षण के लिहाज से विशेष रोजगार कार्यक्रमों में वे सब लोग लगाये जा सकते हैं जो काम करना चाहते हैं।
6. गांवों में लाभार्थियों का पता लगाने के बाद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
7. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत को यह देखना चाहिए कि लाभार्थियों के लिये शुरू की गयी विभिन्न योजनायें ठीक तरह चल रही हैं या नहीं।
8. बैल, बकरी, बत्तख, धान की सफाई आदि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये समुचित सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अनुवाद : ओम प्रकाश दत्त
96, भारत नगर,
दिल्ली-110 052

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

विनोद कुमार अग्रवाल

गरीबी अभिशाप है। लेकिन प्रश्न उठता है कि व्यक्ति गरीब क्यों हैं? उत्तर आता है कि उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। साधारणतः यह देखने में आता है कि जब तक प्रयत्न न किये जायें तब तक किसी भी विकास योजना का लाभ गरीब व निर्धन जनता को नहीं मिल पाता। इसका लाभ साधन सम्पन्न व शिक्षित व्यक्तियों को ही मिलता है। फलस्वरूप गरीब और अधिक गरीब और धनी और अधिक धनी होता जाता है। गरीब व धनी की यह खाई बढ़ती ही जाती है। इसीलिये यदि गरीबों के लिये कोई कार्यक्रम चलाना है तो प्राथमिकता निर्धन व्यक्तियों को देनी होगी और उनके लिये विशेष प्रयास करने होंगे।

इसी उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुये भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया जो 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के नाम से जाना जाता है। जिसके अन्तर्गत समस्त गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर साधनहीन व्यक्तियों को आजीविका के साधन दिलाने की व्यवस्था की जाती है। उदाहरण के लिये भेड़, बकरी, दुधारु जानवर, बैलगाड़ी, चाय या पान की दुकान आदि।

गरीबी की रेखा एवं परिवारों का चयन

इसके अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे गरीब परिवारों का चयन सही ढंग से हो व उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाये। इसलिए राज्य सरकारों ने परिवारों की वार्षिक आय जानने हेतु आय के अनुमान बनाये हैं। इन्हीं अनुमानों के आधार पर पहले पटवारी व ग्राम सेवक गरीब परिवारों की प्रारम्भिक सूची बनाता है। फिर इनका अन्तिम चयन करने हेतु ग्राम सभा की बैठकें बुलायी जाती हैं जिसमें बैंक के अधिकारी भी उपस्थित होते हैं ताकि बाद में वे ऋण देने में आनाकानी न करें। इन सूचियों को अन्तिम रूप देकर प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर छपवाया जाता है व उनकी प्रतियां सभी बैंक शाखाओं व अन्य अधिकारियों को भेजी जाती हैं क्योंकि इन्हीं सूचियों के आधार पर ऋण-पत्र व अनुदान-पत्र तैयार किये जाते हैं। अतः पंचों/सरपंचों को यह देखना चाहिए कि चयन प्रक्रिया की ये सूचियां प्रकाशित व वितरित कर दी गई हैं अथवा नहीं। गरीब परिवारों के चयन में उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई हैं, जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है। इनमें भी जो अपंग, विधवा, बंधुवा मजदूर हैं या अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं, उनको विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय सहायता का प्रबन्ध

गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा चयनित परिवारों को लगभग 3000/- से 5000/- रुपये तक की राशि का अनुदान दिया जाता है जिसके आधार पर वे बैंक से कर्ज लेकर आय का साधन प्राप्त कर सकें। यह ऋण सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों व अन्य व्यवसायिक बैंकों से ले सकते हैं। जब परिवारों का चयन हो जाता है तो उनसे ऋण हेतु प्रार्थना पत्र भरवाये जाते हैं। इसके लिये पंचायतों के स्तर पर ऋण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिनमें पटवारी, ग्राम सेवक, विकास अधिकारी, पंच, सरपंच, बैंक के अधिकारी उपस्थित होते हैं। पंच एवं सरपंच विशेष रूप से यह मदद कर सकते हैं कि इन ऋण कैम्पों में एक ही बार में सभी चयनित परिवारों के ऋण प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से भरवा दें ताकि फिर इन्हें भरवाने हेतु इधर-उधर भटकना न पड़े।

ऋण प्रार्थना पत्रों के तैयार होने के बाद चयनित परिवारों को जानवर व अन्य सम्पत्ति पारम्परिक मेलों से खरीदवाते हैं अथवा खरीदने हेतु मेले लगवाये जाते हैं जहां पर विकास खण्ड क्रय समिति के सदस्यों के अलावा चयनित परिवार का मुखिया और बैंक अधिकारी भी होते हैं।

जानवरों का बीमा

चयनित परिवारों को दिये गए जानवरों को चिह्नित किया जाता है और उनका बीमा करवाया जाता है। बीमा करवाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जानवरों की मृत्यु हो जाने पर चयनित परिवार को दिये गये आय के साधन की हानि से ऋण का बोझ न बढ़े और बीमा कंपनी उसके नुकसान का हर्जाना दे। जैसे ही किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रामाणीकरण पंच या सरपंच द्वारा करवा कर मृत्यु की तारीख के एक माह के अन्दर प्रपत्र भरकर जमा कराना होता है। यदि इस कार्य में देर हो जाये तो नुकसान की भरपाई नहीं होती। अतः पंचों एवं सरपंचों का यह विशेष दायित्व हो जाता है कि जानवर की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् उसका प्रमाणीकरण कर बीमा राशि लेने के प्रपत्र को निर्धारित अवधि के अन्दर भिजवाने में सहयोग करें। इस बात का ध्यान रखा जाये कि प्रामाणीकरण सही हो और बीमे की रकम से पुनः जानवर या सम्पत्ति ही प्राप्त की जाये जिससे आय का साधन बना रहे।

चयनित परिवारों की देखभाल

चयनित परिवारों की लगातार देखरेख आवश्यक है ताकि उनकी आमदनी के साधन बराबर बने रहें व गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठ सकें। अतः पंचों/सरपंचों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के लाभान्वित परिवारों से समय-समय पर सम्पर्क कर उनकी कठिनाइयों को दूर करवाने में सहयोग दें। इस बारे में सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत पटवारी, ग्रामसेवक व स्कूल अध्यापक एक-एक गांव खोद लेंगे व उस गांव के सभी लाभान्वित परिवारों का पूरा लेखा-जोखा रखेंगे और उनसे समय-समय पर मिलकर उनके बारे में सूचना पंचायत समिति व जिला विकास अभिकरणों को देते रहेंगे। इसके अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि किसी परिवार का जानवर बीमार हो गया है तो वे तुरन्त पास के डाक्टर को सूचना देकर उसकी दवा-इत्यादि का प्रबन्ध करायेंगे और यदि किसी के जानवर की मृत्यु हो गई है तो उसे बीमा कम्पनी से हर्जाना दिलाने में सहायता करेंगे।

अन्य सामुदायिक योजनाएं

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में करीब 600 गरीब परिवारों को लाभ दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें स्वयं का रोजगार दिलाया जाता है। ट्रेनिंग का सारा व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे-छोटे कुटीर व उद्योग धन्धों के लिये भी ऋण व अनुदान दिया जाता है, यहां तक कि गांवों में चाय की दुकान, होटल आदि भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जा सकते हैं।

अनुदान का प्रावधान

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवारों को अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को 50% और छोटे किसानों को 25% तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान की राशि 5000/- रुपये अधिकतम हो सकती है। शेष धनराशि की व्यवस्था बैंक द्वारा ऋण दिलवा कर की जाती है और इसी ऋण को ही परिवारों को वापस चुकाना पड़ता है।

इस कार्यक्रमों में पंचों/सरपंचों से अपेक्षा

पंचों/सरपंचों पर ही इस कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि:—

1. गरीब परिवारों का ग्राम सभा में सही चयन करवायें तथा उनको दिये जाने वाले आर्थिक कार्यक्रम का सही निर्णय करवायें। 2. ऋण शिविरों में सही ऋण प्रपत्र भरवाने में सहयोग करें। 3. ऋण मेलों में सही व अच्छी नस्ल के जानवरों का क्रय करवाने में सहायता करें। 4. जानवरों की मृत्यु होने पर तुरन्त प्रमाणीकरण कर प्रपत्र भरकर बैंक को भिजवाने में सहायता करें। 5. परिवारों की बाद में देख-रेख करें व उनकी कठिनाइयों को दूर करने में अपना सहयोग दें और ऋण की वसूली में उचित सहयोग करें।

1803, फतेहपूरियों का दरवाजा,
चौड़ा रास्ता, जयपुर-302 003 (राजस्थान)

पुत्तलिका नाटक

कल्याण के क, ख, ग, घ

बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

पात्र परिचय:–

1. मास्टर जी (50 वर्षीय स्कूल मास्टर)
2. मास्टरनी जी (मास्टरजी की 45 वर्षीया पत्नी)
3. बेकारु (मास्टर जी का बी.ए. पास बेरोजगार बेटा)
4. करमू (बेकारु का सहपाठी युवक)
5. बिन्दिया (मास्टर जी की नटखट बेटी, आयु 18 वर्ष)

(मंच के पीछे से स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने की घण्टी बजने की आवाज आती है, जिसके बन्द होने के साथ पुत्तलिका नाटक के सूत्रधार मास्टर जी प्रकट होते हैं। उनकी आंखों पर ढीला चश्मा है और बायें हाथ में छाता लटकाये हैं)

मास्टर जी: (थकी आवाज में) अच्छा बच्चो, आज की तो हुई छुट्टी। तुम सभी अपने-अपने घर जाओ और मैं भी चला। (कुछ कदम आगे बढ़ाकर जैसे अचानक याद हो आया हो, दर्शकों की ओर मुंह करके कहते हैं) लेकिन आप सभी दर्शक भाइयो और बहनो, मेरी मास्टरनी जी को छोड़कर यथास्थान अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

मास्टरनी जी: (दूसरी ओर से मंच पर प्रकट होकर) क्यों जी, मास्टर जी! मुझे ही क्यों छोड़ करके? क्या अब मैं ऐसी हो गई कि आपको अपने सामने बैठाना भी पसंद नहीं हुं, हुं, हुं हुं,– मैं अभी रो पड़ूंगी।

मास्टर जी: ओ हो, मेरी भाग्यवान तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। एक स्कूल मास्टर की पत्नी होकर भी तुम नहीं समझती कि मैं भला तुम्हे बहन सम्बोधन कैसे कर सकता हूं। तुम तो मेरी पत्नी हो, अग्नि देवता को साक्षी कर पूरी-पूरी सात भावरें घूम कर वरी हुई धर्मपत्नी।

मास्टरनी जी: (मनुहार करती हुई) जाओ जी, तुम बड़े वो हो मेरे मास्टर जी। इस बुढ़ौती में भी जाने कहते क्या हो और समझाने क्या लगते हो। तभी तो तुम्हारे पढ़ाये लड़के-लड़कियां अपने बेटे बेकारु बी.ए. की तरह दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं।

मास्टर जी: (छाता पत्नी को थमाकर) यही तो बेबशी है, मेरी मास्टरनी और मेरे दर्शक बहनों तथा भाइयो। मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा और घ से घड़ा जिन्हें जानकर वे बी.ए., एम.ए. की डिग्रियां तो पा लेते हैं, पर क से कमाओ के लायक नहीं बन पाते।

मास्टरनी जी: (दर्शकों की ओर इंगित करके) देखो तुम्हारे इन दर्शक भाई-बहनो में से भी कितने ही लोग तुम्हारी तरह सिर पर हाथ रखे अपनी पढ़ाई पर पछता रहे हैं और कुछ तो शायद यहां भी आ पहुंचे। मैं चली, अपने घर आंगन को संभालूं। (एक ओर से मास्टरनी जी का प्रस्थान और दूसरी ओर से दो युवकों का मंच पर प्रवेश होता है, जो हाथ जोड़कर मास्टर जी का अभिवादन करते हैं)

पहला युवक: पिता जी प्रणाम।
मास्टर जी: आशीर्वाद, बेटा बेकारु।
दूसरा युवक: प्रणाम गुरु जी।

मास्टर जी: आशीर्वाद बेटा करमू (पहले युवक के निकट

पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए) बेटा बेकारु, तू शहर गया था न? तुम्हारी नौकरी के साक्षात्कार का क्या हुआ?

बेकारु: साक्षात्कार का जो होना था पहले से ही मालूम था। मैं बी.ए. पास वहां कैसे लिया जाता, जब अनेक एम.ए. और पी.एच.डी. पास लाइन लगाये खड़े थे। दस जगह और हजार लोग उम्मीदवार, कैसे पूरी होंगी हमारी उम्मीदें। मुझसे तो पिता जी यह करमू ही अच्छा रहा।

मास्टर जी: (करमू की ओर मुड़कर) हां, बेटा करमू तुमने तो हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद आगे पढ़ा ही नहीं। क्या करते रहे इस बीच?

करमू: मास्टरजी, आपके आशीर्वाद से मैंने हाईस्कूल पास करने के बाद अपने बढ़ईगीरी के पैत्रिक धन्धे में पिता का हाथ बटाने का निश्चय किया। जिसके लिये नवीन वैज्ञानिक विधियों और उन्नत किस्म के औजारों के प्रयोग में एक वर्ष का प्रशिक्षण कस्बे की एक वर्कशाप में लिया और अब अपने गांव में ही पिता के साथ काम करता हूँ।

बेकारु: (उत्साहपूर्वक) सिर्फ अपने पिता जी के साथ काम ही नहीं करता, इसने अपनी एक वर्कशाप खोल ली है, जिसमें इसके गांव के कई अन्य युवक भी कार्य सीखते और कमाते हैं।

मास्टर जी: वर्कशाप खोल ली है! इसके लिये पैसा कहां से पाया?

करमू: पैसा अपने ग्रामीण बैंक से मिला मास्टर जी। हम जैसों की सहायता के लिये ही बैंक गांवों में खुले हैं।

मास्टर जी: (बेकारु से) तो तुम भी क्यों नहीं बैंक से कर्जा लेकर कोई धन्धा शुरू करते, बेकारु। यह रोज-रोज शहर और दफ्तरों के चक्कर कब तक लगाता रहेगा।

बेकारु: (निराशा के स्वर में) मैं बैंक मैनेजर से मिला था, पिता जी। पर मुझ बेकारु बी.ए. के बेकार हाथों को बैंक वाले भी अपना धन देकर उसे डुबाना नहीं चाहते। मैंने तो क से कबूतर पढ़ा है, क से कमाओ नहीं। मेरे पास भी करमू की तरह ही दो हाथ हैं, पर मेरे ये दो हाथ काम करने की कुशलता के अभाव में अपने एक मुंह को भी भरने के लिये समर्थ नहीं हैं।

करमू: (बेकारु को ढाढस देते हुये) दोस्त, इतने निराश न हो। तुम अपने हाथों से श्रम करने को तैयार हो, तुम्हारे पास साधन ही तो नहीं हैं। उन्हें आज आई.आर.डी.पी. और ट्राइसेम योजनाओं के अन्तर्गत मनचाहे व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर साधन देने की व्यवस्था की जाती है। हम सभी अपने श्रम, अपने साधन से, अपने तन-मन-धन, जीवन से; गांवों की जर्जर काया में नूतन प्राण भरें! नवनिर्माण करें!!

मास्टर जी: (बेकारु की पीठ थपथपाते हुए) और बेटा बेकारु बी.ए. अब मैं भी अपने पुराने तरीके से क कबूतर न पढ़ाकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करुंगा– "क कहता है कार्यकुशल बन पहले स्वयं कमाएं।"

बेकारु: और पिता जी, इसके आगे ख से क्या पढ़ाया करेंगे?

मास्टर जी: ख से क्या पढ़ाया करुंगा? हां, हां, ख से , क से कमाओ पढ़ाने के बाद ख से पढ़ाऊंगा खाओ। ठीक रहेगा न बेटा बेकारु! चलो, अब हम घर चलें। तुम दोनों भी बाहर से आ रहे हो, भूख लगी होगी, चलकर कुछ खाएं। दर्शकों को सम्बोधित करते हैं–

बुढ़ापा कह रहा युवकों संवारों, युग तुम्हारा है,
समय की मार मुश्किल है, समय का साथ प्यारा है।
प्रगति प्रतियोगिता की दौड़ में आगे निकलना तो,
करो जो आज कर सकते तभी कल भी तुम्हारा है।।

(जय हिन्द! कहकर मास्टर जी बेकारु और करमू के साथ स्टेज से ओट हो जाते हैं)

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र फैजाबाद
उत्तर प्रदेश-224133

पर्वतीय क्षेत्र में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आय तथा वितरण पर प्रभाव

डी० एस० नगरकोटी

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में योजनाबद्ध सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना की गयी और यह आवश्यकता समझी गयी कि बिना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किये लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय नहीं मिल सकता इसलिए स्थानीय स्तर पर नियोजन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बनाने की जिम्मेदारी के लिए ग्राम पंचायतों को माध्यम बनाया गया और इसी के अन्तर्गत 2 अक्तूबर, 1982 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ और ठीक एक वर्ष बाद 2 अक्तूबर 1983 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस प्रकार ग्रामीण जनों के विकास के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर ज़िला परिषदों को कार्यान्वित किया गया। ग्रामीण विकास के लिए कमोवेश वही ढांचा आज भी विद्यमान है। इसी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बहुआयामी विकास हेतु विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया परन्तु विगत तीन दशकों के ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समन्वय की कमी, अनियमिततापूर्ण रीति से क्षेत्रों, वर्गों तथा व्यक्तियों के चयन, निर्धन एवं कमजोर वर्गों की अनभिज्ञता, उदासीनता एवं सहभागिता की कमी तथा प्रभावशाली वर्ग के हस्तक्षेप से सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विषमता दूर नहीं की जा सकी, परिणामस्वरूप 1976 में एकीकृत ग्रामीण विकास अवधारणा का उद्भव हुआ जिसके अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों – आर्थिक व सामाजिक दोनों तरह से कमजोर ग्रामीण जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, लघु तथा सीमान्त किसान जिनमें खेतिहर मजदूर, ग्रामीण दस्तकार आदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए स्थाई उत्पादक परिसम्पत्तियां खरीदने तथा अधिक मानव-दिवस रोजगार सृजित करके उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1976-77 में बीस चुने हुए जनपदों में ग्रामीण विकास का एक समन्वित कार्यक्रम आरम्भ किया गया। 2 अक्तूबर 1982 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्पूर्ण देश के 5011 विकास खण्डों में लागू किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के 576000 गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या के जीवन स्तर में वृद्धि कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। योजना आयोग ने भारत में उपभोग व्यय को न्यूनतम जीवन निर्धारण का आधार मानकर गरीबी रेखा को प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में मापा है। यदि सातवीं योजना के ही आंकड़ों को न्यूनतम मानकर चलें तो कैलोरी माप से इस समय 40.3% लोग निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में पांच सदस्यीय परिवार जिसकी वार्षिक आय 3500 रुपया या इससे कम है उसे गरीबी की रेखा से नीचे माना है लेकिन पंचवर्षीय योजना में इसे बढ़ाकर 4800 रुपया वार्षिक माना गया है। इस कार्यक्रम को और आधार देने के लिए ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग (ट्राईसेम 1979), स्पेशल कम्पोनेंट कार्यक्रम (एस०पी०सी० 1979), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी० 1980) तथा आर०एल०ई०जी०पी० 1983 आदि कार्यक्रम चलाये गये। उ०प्र० पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुमाऊँ तथा गढ़वाल मण्डल के आठ जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ीगढ़वाल, टिहरीगढ़वाल, उत्तरकाशी तथा

देहरादून आते हैं जिसे एक पृथक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। भिन्न पारिस्थितिकी तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण इन्हें राज्य के अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में 570 करोड़ रुपये की स्वीकृत किये गये थे जो अब बढ़ा कर सातवीं योजना में 1723.31 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का प्रतिशत 70 है जबकि पूरे देश में यह प्रतिशत 40 है। पर्वतीय क्षेत्र में जीविका का मुख्य साधन खेती है। इस पर भी अनेक दबावों के कारण प्रत्येक किसान के हिस्से मात्र 0.65 हैक्टेयर भूमि आती है। इसमें भी 86% लघु तथा सीमान्त किसान हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या योजना आयोग द्वारा छठी योजना में कम से कम 30% तथा सातवीं योजना में 50% निश्चित की गयी थी। जबकि जनपद नैनीताल, टिहरी गढ़वाल तथा देहरादून में ही इन जातियों के लाभार्थियों की संख्या 30% से अधिक है। अन्य पांचों जनपदों में इन जातियों का प्रतिशत कम है। मात्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऋणराशि में वृद्धि की गयी इसीलिए औसत प्रति लाभार्थी ऋण सामान्य जाति की तुलना में अनु० जाति तथा जनजाति के लाभार्थियों को अधिक मिली है।

सारणी 1 से स्पष्ट है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण वितरण में जिला सहकारी बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जबकि सभी व्यावसायिक बैंकों ने 56.36% ऋण आबंटित किये वहां अकेले सहकारी बैंक ने 39.68% ऋणों का आबंटन किया। सबसे अधिक 82.09 नैनीताल जनपद में तथा सबसे कम 19.03% पिथौरागढ़ जनपद में। अन्य संस्थाओं के अन्तर्गत सहकारी ऋण समितियों ने ही ऋणों का वितरण किया जिसका प्रतिशत अत्यधिक कम 3.96 है।

कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में प्रति लाभार्थी औसत 3015.36 रुपये ऋण प्रदान किया गया है। इसमें भी सबसे कम पिथौरागढ़ जनपद में प्रति लाभार्थी 2309.87 रु० तथा सर्वाधिक 4650 रु० प्रति लाभार्थी उत्तरकाशी जनपद में दिया गया है जबकि छठी योजना में प्रति परिवार न्यूनतम निवेश 3000 रु० तथा सातवीं में 6000 रुपये प्रति परिवार निवेश की व्यवस्था है तथा अनुपूरक सहायता की भी व्यवस्था की गयी है।

लाभार्थी की आय पर आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम का प्रभाव

इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी परिवारों में से 64% परिवारों ने स्वीकार किया कि कार्यक्रम के लाभार्थी होने से उनकी आय वृद्धि नहीं हुई अर्थात् उनको इस निवेश से कोई लाभ नहीं हुआ। 36% लाभ भोगी परिवारों ने माना कि लाभार्थी बनने के बाद उनकी आय में वृद्धि हुई है जो 12.1% है। सर्वाधिक चमोली जनपद में 80% लाभार्थी परिवारों की आय में सर्वाधिक 51.7% वृद्धि हुई है। जबकि नैनीताल जनपद में किसी भी लाभार्थी परिवार की आय में वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आय पर लाभ भोगी होने से कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद पिथौरागढ़ जनपद में अत्यधिक कम 18% लाभार्थी परिवारों की आय में 2.3% वृद्धि हुई। नीचे से तीसरे नम्बर पर अल्मोड़ा जनपद आता है जहां 22% लाभार्थी परिवारों की आय में 2.3% वृद्धि हुई, अन्य सभी जनपदों में वृद्धि दर सामान्य रही है।

ऐसा लगता है निर्धनतम परिवारों को कार्यक्रम में सम्मिलित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की योजना आयोग की नीति को व्यवहार में कोई महत्व नहीं दिया गया तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विशेषकर निचले स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों को शामिल नहीं किया गया जिससे लाभार्थियों का चयन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया। परिणामस्वरूप वास्तविक जरूरतमन्द परिवारों तक कार्यक्रम नहीं पहुंच पाया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में लाभभोगी परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय 803। रुपया है जिसमें सर्वाधिक नैनीताल जनपद में प्रति परिवार 14230 रुपया वार्षिक, सबसे कम चमोली जनपद में 5346 रुपया वार्षिक है जो गरीबी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। जबकि योजना आयोग ने छठी योजना में पांच सदस्यीय परिवार जिसकी वार्षिक आय 3500 रुपया तथा सातवीं योजना में 4800 रु० वार्षिक आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना तथा 2266 रुपया प्रतिवर्ष आय वाले वर्ग को सबसे नीचे मानकर निचले स्तर पर अधिक ध्यान देने की घोषणा की है। जबकि अध्ययन में सम्मिलित 197 लाभार्थी परिवारों की कुल जनसंख्या 1183 है। इसमें भी 45.68% परिवारों की सदस्य संख्या पांच से कम है।

नैनीताल जनपद में लाभार्थी परिवारों की पूर्व वार्षिक आय सर्वाधिक है। वहीं वृद्धि दर शून्य है जबकि चमोली

जनपद में लाभार्थियों की पूर्व वार्षिक आय सबसे कम है। वहीं वृद्धि दर सर्वाधिक 51.7% है। इसके साक्षात्कार के दौरान मुख्यतया तीन कारण पाये गये हैं—

1. उच्च आय वर्ग के लाभार्थियों ने सहायता राशि से नयी परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं किया बल्कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मिलीभगत से अपनी पुरानी परिसम्पत्तियों को ही ऋण राशि से खरीदी सम्पत्ति बताया जैसे भैंस, बैल, गाय, दुकान आदि जो उनके पास पूर्व से ही थे उन्हीं पर नम्बर लगा दिया जिसके उत्पादन का वे स्वयं पूर्व से ही उपभोग कर रहे थे।
2. इस वर्ग के लाभार्थियों का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्राप्त करना था चूँकि ये लोग लाभार्थी बनने के अधिकारी नहीं थे इसलिए उनको लाभार्थी बनने के लिए अधिक खर्च करना पड़ा।
3. जो लाभार्थियों ने बगीचे के लिए ऋण लिया था उसमें कुछ तो उचित देखरेख के अभाव में पेड़ सूख गये जो बचे हैं वे भी अभी उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

सारणी-2 में कृषि-बागवानी के अन्तर्गत कुल 11.16% लाभार्थियों को 8.43% ऋण प्रदान किया गया है जबकि पर्वतीय पारम्परिक कृषि तथा बागवानी के विकास की बहुत अधिक संभावनायें हैं फिर भी लाभार्थियों को फलदार वृक्ष जैसे नारंगी, मालटा, कागजी नींबू, बड़ा नींबू, गलगल, सेब, नासपाती, खुमानी, आड़ू, पुलम, अंगूर, अखरोट आदि उगाने तथा इन फलदार वृक्षों के बीच रिक्त भूमि पर आलू, मटर, बीन, टमाटर आदि सब्जियां उगाने को भी प्रेरित नहीं किया गया न ही फल देने तक की अवधि में कृषकों को अनुदान व सस्ते राशन की व्यवस्था की गयी। साथ ही विपणन की भी उचित व्यवस्था नहीं की गयी जिस कारण अधिक लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो पाया है। पर्वतीय क्षेत्र में कुटीर उद्योग जिसमें सभी निम्न आय वर्ग के परिवार संलग्न हैं जैसे बढ़ई, लोहार, तेली, बोरा, ऊन, बुनकर आदि को कार्यक्रम में सबसे कम प्रति लाभार्थी को 2500 रुपया ऋण प्रदान किया गया जो अत्यधिक कम है जबकि इन्हीं पारम्परिक कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर वर्ष में अधिक मानव दिवस रोजगार तथा स्थाई उत्पादक परिसम्पत्तियां प्राप्त की जा सकती थीं लेकिन ऐसा नहीं के बराबर हुआ है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन जिसमें भैंस, बैल, गाय, भेड़ सम्मिलित हैं सर्वाधिक ऋण 62.43 लाभार्थियों को 65.16% ऋण तथा प्रति लाभार्थी परिवार औसत 3147 रु० ऋण प्रदान किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन पारम्परिक कृषि से जुड़ा है इसलिए व्यावसायिक कम, घरेलु उपयोग के लिए अधिक है। फिर दुधारू पशुओं की स्थानीय परिपेक्ष नस्लों का विकास नहीं हुआ तथा घास की अच्छी किस्म व चरागाहों की उचित व्यवस्था न होने व स्थानीय चारे का उचित रख रखाव जैसे कृषि 'रिफ्यूज' का उचित रख-रखाव, कुट्टी बनाकर खिलाना, साइलेज बनाना, शीतकालीन परती जमीन पर जई बोना आदि जानकारी का पूर्णतया अभाव रहा है। जिस कारण पशुपालन व्यवसाय से आय का बहुत कम भाग ही अर्जित हो पाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालन में अधिक लाभार्थी होने से पर्वतीय क्षेत्र में पशुओं के वितरण पर अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में एक औसत परिवार दो दुधारू पशु तथा एक जोड़ी बैल के प्रस्तावित मापदण्ड को प्रोत्साहन मिला है। शेष 21.9% लाभार्थियों को अन्य व्यवसाय में खच्चर आदि, दुकान, मुर्गीपालन के लिए 22.6% ऋण आबंटित कर कुछ उत्पादक परिसम्पत्तियां प्राप्त कर आय वृद्धि की गयी लेकिन मुर्गीपालन पर्वतीय क्षेत्र में अभी व्यवसाय के रूप में नहीं उभरा। इस क्षेत्र में काफी प्रयास हुए लेकिन पर्याप्त जानकारी तथा सुविधाओं के अभाव में असफल हो गये।

लाभार्थियों की असन्तुष्टता प्रदर्शन का मुख्य कारण अधिकारियों (खण्ड/बैंक/वी०एस०) के सहयोग व मित्रतापूर्ण व्यवहार का अभाव रहा है जिसको सर्वाधिक 29% लाभभोगियों ने स्वीकार किया, 9.6% लोगों का मानना है कि लाभार्थी की चुनाव प्रक्रिया दोषी है। 7.1% ने माना कि कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचना का अभाव है। लाभार्थी सहायता प्राप्त करने में ही हतोत्साहित हो जाता है जिस कारण उसके लिए मुख्य प्राथमिक समस्यायें हो जाती हैं जैसे कार्यक्रम की जानकारी का अभाव, चुनाव प्रक्रिया, अधिकारियों का व्यवहार आदि। फलस्वरूप लाभार्थी अन्य द्वितीयक समस्याएं उसके लिए गौण हो जाती हैं जैसे बाजार, यातायात, विपणन की असुविधा आदि जिससे वह व्यवसाय के प्रति उदासीन हो जाता है और उसमें कार्य कुशलता व जोखिम उठाने की क्षमता नहीं आ पाती और निर्धन लोग सहायता लेने में भी घबराते हैं तथा 27% लाभार्थियों ने असन्तुष्टता प्रदर्शन का कारण बताने से इनकार कर दिया।

आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा जनपदवार आबंटित ऋणों का अनुपात तथा प्रति लाभार्थी औसत ऋण 1982-86 उ० प्र० पर्वतीय क्षेत्र

सारणी - 1

जनपद	व्यावसायिक बैंक प्रतिशत	सहकारी बैंक प्रतिशत	अन्य संस्थायें प्रतिशत	औसत प्रति लाभार्थी ऋण
अल्मोड़ा	73.43	22.73	3.85	3108.70
पिथौरागढ़	80.97	19.03	—	2309.87
नैनीताल	—	82.01	17.99	2316.67
चमोली	34.25	65.75	—	3650.00
उत्तरकाशी	38.71	61.29	—	4650.00
पौड़ीगढ़वाल	23.36	63.38	13.26	3736.36
टिहरीगढ़वाल	27.70	69.70	4.60	2467.07
देहरादून	100.00	—	—	3458.33
उ०प्र० पर्वतीय क्षेत्र	56.36	39.68	3.96	3015.36

आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न व्यवसायों के लिए दिया गया ऋण प्रतिशत में (रु०)

सारणी - 2

क्रम सं०	जनपद	कृषि बागवानी % (रु०)	पशुपालन % (रु०)	कुटीर उद्योग % (रु०)	अन्य व्यवसाय * % (रु०)
(1)	अल्मोड़ा	11.54	78.32	—	10.13
(2)	पिथौरागढ़	13.10	53.52	1.71	31.67
(3)	नैनीताल	—	100.00	—	—
(4)	चमोली	8.22	45.21	—	46.6
(5)	उत्तरकाशी	3.23	75.27	—	—
(6)	पौड़ी (गढ़वाल)	14.72	68.25	—	17.03
(7)	टिहरी (गढ़वाल)	2.47	70.84	10.87	15.82
(8)	देहरादून	2.62	42.17	12.05	42.17
	उ०प्र० पर्वतीय	8.43	65.16	3.79	22.70

उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्ष से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगी परिवारों की आर्थिक वृद्धि पर अच्छे प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके कि आय के वितरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले जिससे धनी तथा निर्धन के बीच असमानता बढ़ी है। जिसके लिए कार्यक्रम की उचित जानकारी का अभाव तथा लाभार्थी चुनाव प्रक्रिया व कर्मचारी/अधिकारियों को ग्रामीण समस्याओं की अनभिज्ञता काफी जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त व्यवसायवार ऋण वितरण में कुटीर तथा पारम्परिक उद्योगों की घोर उपेक्षा की गयी है। जबकि पर्वतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्थानीय परिपेक्ष में कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। अतः पर्वतीय क्षेत्र के परिपेक्ष में यह ध्यान नहीं दिया गया कि किस व्यवसायिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश किया जाये। ऋणों का वितरण मात्र लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। निचले स्तर पर कार्यान्वयन कर्मियों की उपेक्षापूर्ण नीति तथा निरीक्षण व उचित निदेशन के अभाव में कार्यक्रम यथेष्ट स्थान प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम को गम्भीरतापूर्वक लागू करना होगा जिससे बहुसंख्यक निर्धनों के हाथों में क्रय शक्ति दी जा सके तथा निर्धन व वंचित लोगों के हाथों में स्थाई उत्पादक व रोजगार मूलक परिसम्पत्तियां देकर इन कार्यक्रमों को (ग्रास रूट) स्थानीय जिला और विकास खण्ड की योजनाओं पर आधारित किया जाये तथा इन पर नियमित निगरानी रखी जाये और इनको कारगर ढंग से लागू कर इनके लाभों को राजनैतिक हस्तक्षेप से गरीबों की बजाय धनियों की तरफ न मोड़ा जायें तो इसके अन्तर्गत निर्धनों की परिसम्पत्तियां बढ़ाकर असमानता को कम किया जा सकता है।

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर 'ओ'
अलीगंज, लखनऊ-226 020

कृषि कुंडलियां

महेश चन्द्र शुक्ल

पेड़ लगाना लाभप्रद, बो पांच, दस हजार।
यूकेलिप्ट्स, सिरस, वन, या फिर हों फलदार।
या फिर हो फलदार, आम, कटहल या जामुन,
इनके नीचे बस जाता मदमाता फागुन।
कहते चन्द्र महेश स्वास्थ्य का मिले खजाना।
अगर भगाना चाहो प्रदूषण पेड़ लगाना।

संकर बछिया पालकर, दे उत्तम आहार।
अपने बच्चों की तरह दे कुछ उसको प्यार।
दे कुछ उसको प्यार, साल दो में ब्यायेगी।
देगी इतना दूध कि मटकी भर जायेगी।
कहते चन्द्र महेश दूध की कमी भयंकर।
अब तक थी वह दूर करेगी बछिया संकर।

युवा न भागें गांव से, वहीं करें कुछ काम।
बैंक से ऋण लेकर करें, वहीं गांव में काम।
वहीं गांव में काम, प्रशिक्षण उसका पाकर।
मालिक बनें साहसी बनकर, नहीं किसी का चाकर।
कहते चन्द्र महेश सफलता दौड़े पीछे आगे।
जम जायेंगे पांव, गांव से युवा न भागें।

आई. आर. डी. पी. लोन ले, लगा एक उद्योग।
आय अवश्य बढ़ जायेगी, यह है सफल प्रयोग।
यह है सफल प्रयोग, वही उद्योग लगायें।
ग्राहक, कच्चा माल, वहीं जिनका मिल जाये।
कहते चन्द्र महेश, गरीबी दूर भगाये कौन?
छोटा-सा उद्योग लगा, ले आई. आर. डी. पी. लोन।

खण्ड विकास अधिकारी,
बिधनू, कानपुर (उ. प्र.)

ग्रामीण बेरोजगारी समस्या एवं समाधान

बिन्देश्वरी यादव

बेरोजगारी की समस्या केवल भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में ही नहीं है बल्कि विश्व्यापी है लेकिन विकसित एवं विकासशील देशों के बीच केवल अनुपात्मक संख्याओं का अन्तराल होता है। अमरीका जैसे विकसित राष्ट्र में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत जनाधिक्य बेरोजगारों की संख्या में आंका जाता है। यह सर्वविदित है कि भारत कृषि प्रधान देश है जिसके फलस्वरूप 76.5 प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। वर्तमान में पूरे देश में 5,75,936 से अधिक गांव हैं। ग्रामीणों के मुख्य रोजगार के साधन कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा छोटे-छोटे व्यापार हैं और ये साधन उतने विकसित नहीं हैं कि ग्रामीण श्रम को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सके। फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारों की कतार धीरे-धीरे लम्बी होती जा रही है। इस तीव्र गति से बदली हुई बेरोजगारी न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही जर जर कर रही है बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

अगर बढ़ती हुई बेरोजगारी की ओर देखे तो कई कारण सामने आते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही कहा जा सकता है कि द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा विकास प्रक्रिया में निहित खामियां हैं परन्तु इन समस्याओं के समाधान के लिये सरकार भी निष्क्रिय नहीं रही है। भले एक साथ समाधान नहीं कर पा रही है फिर भी प्रयत्नशील है। यह ठीक है कि सरकार प्रथम एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में अधिक ध्यान नहीं दे सकी क्योंकि बहुत कम समय पूर्व देश स्वतंत्र हुआ था। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्र में अल्प रोजगार श्रम शक्ति के उपयोग के लिए 25 करोड़ रुपये का व्यय किया गया तथा 34 'पाइलेट' कार्यक्रम परियोजनाओं को चालू किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एक सुनियोजित विधि, राज्य एवं जनपदों द्वारा भी अपनायी गयी। सम्पूर्ण देश भर में सूखे से प्रभावित 54 जनपदों को ग्रामीण कार्यक्रम के लिये चुना गया तथा प्रत्येक जनपदों के लिये 2 करोड़ रुपये धनराशि व्यय की गयी तथा विशेष रूप से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिये 'कैश कार्यक्रम' भी चलाये गये। श्री भागवती जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो भागवती समिति के नाम से लोकप्रिय हुई। इस समिति ने 1973 में अपनी रिपोर्ट के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया तथा रोजगार को बढ़ाने के लिये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पक्षों को मुख्य रूप से उजागर किया। इसके साथ-साथ श्रम बाहुल तकनीकी पर विशेष रूप से ज़ोर दिया तथा प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सलाह दी। बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता ग्रामीण बेरोज़गारों को देने के लिये कहा। 1978-79 में ग्रामीण बेरोजगारी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को ध्यान रखते हुए कई प्रकार के नये-नये राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किये। 1980 में एक आर्थिक सम्मेलन किया गया जो पूर्णरोजगार की नीति से सम्बंधित थे जिसमें देश के सभी अधिकारी एवं मंत्रीगण भी शामिल थे। इन सम्मेलनों द्वारा सरकार को ग्रामीण रोजगार एवं आर्थिक विकास के लिये कई सुझाव दिये गये और इन्हीं सलाह एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये गये।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

यह कार्यक्रम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने का सबसे अधिक सफलीभूत एवं लोकप्रिय कार्यक्रम है। इसे 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहद केवल ग्रामीण बेरोजगारी का ही निवारण नहीं होता है बल्कि स्थायी परिसम्पत्तियों का भी निर्माण हो जाता है जैसे ग्रामीण सड़कें, पंचायत घर, स्कूल भवन, सिचाई की सुविधाएं, बाढ़ से रोकथाम के उपाय इत्यादि। 1980-81 में इस कार्यक्रम के तहत 2133.77 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ। 79414 स्कूल भवन, 3016 पंचायत

घरों तथा समुदायिक केन्द्र का निर्माण किया गया। इसके साथ-साथ 2 लाख 71 हजार 567 किलो मीटर से अधिक लम्बी नयी सड़कें बनीं। 9 लाख 49 हजार 518 हैक्टेयर से अधिक भूसंरक्षण के उपाय अपनाये गये हैं। 4 लाख 21 हजार हैक्टेयर से अधिक जमीन को बाढ़ के खतरे से बचाया गया तथा 4 लाख 40 हजार 764 हैक्टेयर से अधिक भूमि में वृक्षारोपण किया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1978-79 से प्रारम्भ किया गया। शुरू में 2300 विकास खण्डों में लागू किया गया लेकिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर देश के सभी विकास खण्डों में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम के सफलीभूत ने छठी पंचवर्षीय योजना काल में 25 करोड़ 91 लाख गरीब लोगों की सहायता कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। प्रत्येक विकास खण्ड द्वारा 600 गरीब परिवारों को सहायता दी गयी जिसमें 400 कृषि से संलग्न तथा 100 उद्योग एवं 100 व्यापार से सम्बंधित परिवारों को प्रत्येक वर्ष सहायता दी जा रही है। बैंक को अधिक से अधिक धन राशि ऋण के रूप में प्रदान करने को कहा गया। इसके साथ-साथ 'मानिटरिंग सैल' की स्थापना की गयी जिसमें रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के सभी सम्बंधित अधिकारी हैं।

ग्रामीण युवकों के लिये रोजगार प्रशिक्षण

यह कार्यक्रम ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को दक्षता और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 लाख ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को भी प्रशिक्षित करने के लिये प्रत्येक राज्य में महिला प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है प्रशिक्षण काल में 100 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारों को दिये जा रहे हैं।

खादी व ग्रामोद्योग

वैसे तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना बहुत पहले हुई है लेकिन इसने छठी पंचवर्षीय योजना काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। छठी पंचवर्षीय योजना काल में 480 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया, कुल उत्पादन 440 करोड़ रुपये वार्षिक से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया जिससे रोजगार में वृद्धि हुई अर्थात 27.30 लाख से अधिक कारीगरों को काम मिला तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में लगभग 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर किस्म के पशुओं को बढ़ावा देना, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन इत्यादि जैसे सहायक काम धंधे को प्रोत्साहन करना है। इस कार्यक्रम के द्वारा 21 राज्य एवं 4 केन्द्रशासित क्षेत्रों में संकर किस्म की गाय पालने की 99 परियोजनाएं, मुर्गी पालन की 68, भेड़ पालन की 51, और सुअर पालन की 50 योजनाएं चलायी जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम

1979-80 में राष्ट्रीय ग्रिड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम खोले गये। कृषि उत्पादित फसलों की सुरक्षा इससे हो रही है। छठी पंचवर्षीय योजना 19.53 लाख मी० टन की भंडारण क्षमता वाले गोदाम खोले गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान किया गया है कि 82.42 लाख श्रमिकों को इस कार्यक्रम द्वारा रोजगार उपलब्ध होगा।

बिहार में 1987 के अंत तक 5 लाख 30 हजार ग्रामीणों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है और 50 हजार बंधुआ मजदूरों को रोजगार मिला है। महिलाओं के विकास के लिये 300 आंगन-घर-वाड़ी कार्यक्रम चल रहा है जो महिलाओं के विभिन्न प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करता है। इन्दिरा आवास योजना के तहत 1500 बेघरों को घर दिया गया तथा 4 लाख भूमिहीन कृषकों को भूमि प्रदान की गई है। इस योजना काल में 40 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य था जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण कार्य हो चुका है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्य योजना काल के प्रारम्भ से ही हो रहा है। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की शिथिलता न आने पाये, उसके लिये स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी रुचि ले रहे हैं।

ग्राम – मिर्जापुर,
पोस्ट – सबोर (राजपुर)
जिला – भागलपुर (बिहार)
पिन – 813210

कमजोर वर्गों का उत्थान तथा बीमा योजना

कु० ज्योति मिश्रा

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंकों की सारी सुविधाएं शहरी उच्च वर्गीय सुविधासम्पन्न वर्ग तथा बड़े उद्योगपतियों को ही प्राप्त थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की सारी सुविधाएँ उच्च वर्गों को ही न मिलकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को प्राप्त होने लगीं। इनकी शाखाएँ गाँवों में खुलने लगीं और आज ग्रामीण और कमजोर वर्गों के उत्थान में बैंक की अहं भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1979 में किया गया और तब से बैंक ग्रामीण विकास में निरंतर गतिशील हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व ही भारतीय तथा विदेशी जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में कर दिया गया। इसके पूर्व ये कम्पनियां भी अपनी शाखाएँ बड़े-बड़े शहरों में खोलती थीं और राष्ट्रीयकरण के पूर्व केवल इनके 97 केन्द्र ही थे। इन कम्पनियों का सम्पर्क बड़े शहरों के बड़े पूँजीपतियों और उच्च वर्ग के लोगों से ही था। इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही था। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद इनकी शाखाएं छोटे शहरों और कस्बों में भी खुलने लगीं। सरकारी नियंत्रण के प्रभाव में इस उद्योग ने धीरे-धीरे ग्रामीण और कमजोर आय वर्ग के लोगों के उत्थान में सहभागीदारी प्रारंभ कर दी है। ग्रामीण किसानों के लिए फसल बीमा योजना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त भी इस प्रकार की कई योजनाएं भारतीय बीमा निगम द्वारा संचालित हैं, जिनकी संक्षिप्त चर्चा इस संदर्भ में समीचीन है।

रूरल कैरियर एजेण्ट योजना

बीमा कम्पनियों में अभिकर्त्ता पहले शहरों के ही होते थे, परन्तु वर्ष 1978-79 में बीमा कम्पनियों ने अपना कारोबार देहातों में फैलाने के लिए ग्रामीण अभिकर्त्ताओं की भर्ती प्रारंभ करके रूरल कैरियर एजेण्ट योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का यह उद्देश्य था कि हर गांव से एक अभिकर्त्ता का चुनाव किया जाए जिनकी योग्यता कम से कम हाईस्कूल और उम्र 29 वर्ष से 35 वर्ष के बीच ही हो। इन अभिकर्त्ताओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था की गयी और प्रशिक्षण के दौरान प्रथम वर्ष में प्रति माह 125 रुपये और द्वितीय वर्ष में प्रति माह 100 रु० देने की व्यवस्था की गयी। इस योजना के परिणाम बड़े ही उत्साहवर्द्धक रहे और मार्च 1982 तक ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे 2083 अभिकर्त्ता कार्यरत थे। गांवों के शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।

जनरक्षा योजना

जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सन्दर्भ में किया गया यह दूसरा प्रयास है जो वर्ष 1981 में प्रारंभ किया गया। यह पालिसी ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी और यह योजना अपने उद्देश्य में सफल रही। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अपंगों और जोखिम भरे व्यवसाय में कार्यरत लोगों को अतिरिक्त प्रीमियम देने की शर्त को या तो समाप्त कर दिया गया है अथवा कुछ ढील दी गयी है। इसके द्वारा विकलांगों के लिए 10,000 रुपये तक की पालिसी अब बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के जारी कर दी जाती है। वर्ष 1981-82 में जारी 21 लाख पालिसियों में से दो तिहाई पालिसियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दी गयीं। इसके अतिरिक्त कुछ पालिसियों में से 60 प्रतिशत पालिसियाँ 10,000 रु० अथवा इसके नीचे की राशि की थीं।

असंगठित और कमजोर वर्गों के लिए समूह बीमा योजना

जीवन बीमा निगम ने समाज के असंगठित और कमजोर वर्गों के लिए अपेक्षाकृत कम प्रीमियम पर जीवन बीमा करने की समूह योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अन्तर्गत छोटे

किसान और खेतिहर मजदूर, मूँगफली और दुग्ध उत्पादक, बुनकर, अंधे कामगार, सफाई कर्मचारी तथा नगरपालिकाओं के कम वेतनभोगी भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में शाखाएँ

भारतीय जीवन बीमा निगम की ही भाँति साधारण बीमा कंपनियों की सारी शाखाएं शहरों तक ही सीमित थीं। जब 1973 में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इनकी अनेक शाखाएँ ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में खुलीं जिससे वे सामान्य जन के सम्पर्क में आयीं।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

साधारण बीमा निगम ने 1976 में जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी तथा 1979 में ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी प्रारंभ कीं। इन दोनों पालिसियों का उद्देश्य जन-सामान्य को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था।

इस सन्दर्भ में साधारण बीमा निगम ने राज्य सरकारों के सहयोग से एक विशिष्ट योजना प्रारंभ की है। इसका सबसे पहला प्रयोग बिहार में हुआ और दूसरा कर्नाटक में। इसमें कृषि एवं भूमिहीन मजदूरों, बीड़ी तथा सिगरेट के मजदूरों, दस्तकारों तथा बुनकरों, धोबियों, चर्मकारों, लौहारों आदि के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सारा प्रीमियम राज्य सरकार देती है।

इसी योजना के अन्तर्गत सहकारिता समिति के सदस्यों और मछुआरों की भी वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। इसमें मछुआरों की दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा अपंगता के विरूद्ध बीमा किया जाता है। इसमें कुल बीमा 15,000 रु० का होता है। इसका 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार, 12 रुपये प्रति वर्ष संबंधित व्यक्ति और शेष राज्य सरकारें वहन करती हैं।

मवेशियों की बीमा योजना

ग्रामीण जीवन में मवेशियों का बड़ा महत्व है। किसानों के लिए कृषि कार्य में काम आने वाले बैलों के अतिरिक्त जीवनयापन के लिए दुधारू पशुओं का भी बहुत महत्व है। ये अनेक प्रकार की बीमारियों, अकाल और सूखे आदि के चलते भी काल कवलित हो जाते हैं। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर वर्ष 1979 से मवेशी बीमा योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना में दुधारू पशुओं, भैसों, गायों, सांडों और बैलों के अतिरिक्त लघु विकास एजेंसी, सीमान्त तथा खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी, सूखे क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम एवं समन्वित ग्रामीण योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों से भी कम प्रीमियम लिया जाता है। बीमा कम्पनियों द्वारा इस क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक कार्य किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 78 लाख मवेशियों का बीमा किया गया था। (योजना, 1983)। इस समय इस योजना में अन्य पालतू पशुओं (भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े, हाथी, मछली, मधुमक्खी आदि) को भी सम्मिलित किया गया है।

नलकूपों की बीमा योजना

प्रायः यह देखने में आया है कि किसानों के नलकूप, बिजली गिरने, यांत्रिक गड़बड़ी, आग पकड़ने, चोरी आदि से या तो नष्ट हो जाते हैं अथवा गायब हो जाते हैं। सामान्य किसानों के लिए पुनः उसकी व्यवस्था करना उनके बूते के बाहर हो जाता है। इस दृष्टि से नलकूपों को बीमा के अन्तर्गत लिया जाना भारतीय किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे इस प्रकार की बीमा योजना 1975 से ही प्रारंभ हो चुकी है परन्तु 1980 के दशक में इसमें अधिक वृद्धि हुई है।

फसल बीमा योजना

भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता है। आज भी यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत किसान कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त फसल बाढ़, सूखा, जंगली पशु, कीड़े-मकोड़े से भी नष्ट होती है। कृषि का क्षेत्र इतना अविकसित है कि इतने विकास के बाद भी कोई सहायक उद्योग किसानों के पास नहीं है। फसल नष्ट होने पर उन्हें भूखों मरने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता है। अतः विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की गयी है।

यह योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 1973 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना में राज्य सरकारें भी सहभागीदार हैं। राज्य सरकारों का हिस्सा 25 प्रतिशत होता है। इसलिए जितना प्रीमियम प्राप्त होता है, उसका 25

प्रतिशत अंश राज्य सरकार को तथा शेष 75 प्रतिशत बीमा निगम को प्राप्त होता है। इन्डेम्निटी का भुगतान भी राज्य सरकार और सामान्य बीमा निगम उसी अनुपात (अर्थात् 25 और 75 प्रतिशत) में करता है। राज्य सरकार का जो प्रीमियम जमा होता है उससे फसल बीमा फण्ड स्थापित होता है और इसी से इण्डेम्निटी का भुगतान भी होता है।

उत्तर प्रदेश में फसल योजना

उत्तर प्रदेश में यह योजना 1983-84 से लागू कर दी गयी है। इस योजना का संचालन 'निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा' को करना पड़ता है। क्षेत्रीय स्तर पर सम्पूर्ण प्रशासनिक उत्तरदायित्व 'निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश' तथा जिले स्तर पर कार्यक्रम के संचालन का कार्य जिलाधिकारी वहन करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983-84 में फसल बीमा योजना की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्टतः देखी जा सकती है, (सिंह, 1936)।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983-84 में फसल बीमा योजना की प्रगति

क्र सं०	विवरण	खरीफ	रबी
1.	तहसीलों की संख्या जिनमें फसल बीमा योजना लागू की गयी –	50	181
2.	बीमा कराने वाले कृषकों की संख्या –	3487	13104
	(अ) सीमान्त एवं लघु कृषक	3123	11651
	(ब) अन्य	364	1453
3.	बीमा किया गया क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	2931	13249
4.	बीमा की राशि (हजार रुपये में)		
	(अ) लक्ष्य	4550	15825
	(ब) पूर्ति	3976	15995
5.	कुल प्राप्त प्रीमियम (हजार रुपये में)	199.57	389.00
	(अ) अनुदान	132.43	255.05
	(ब) किसानों से प्राप्त प्रीमियम	67.14	133.93
6.	कृषकों को दिया गया मुआवजा –		
	(अ) तहसीलों की संख्या	1	18
	(ब) कृषकों को दिया गया मुआवजा (रु० में)	11932.00	109045.00

प्राध्यापक, समाजशास्त्र
अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज
वाराणसी

पांचवी किस्त

सार्वजनिक कोष कार्यक्रम—नगालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन अभियान

अ. मा. गोखले
संयुक्त सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

अब हम योजना तथा परिपालन कार्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह देखना होगा कि नगालैंड में इस काम में क्या कठिनाई आ सकती है, इसकी क्या सीमायें हैं?

पहली कठिनाई क्षेत्र की है। जब तक योजना बनाने वाले नगालैंड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र का दौरा नहीं करते उन्हें इसके क्षेत्र की कठिनाई, दुर्गमता की जानकारी नहीं हो सकती। राज्य में नगा लोग गांवों में बसे हुये हैं। अंग्रेजों के ब्रह्मपुत्र घाटी में आने से पहले ये नगा गांव पूर्ण रूप से स्वायत हुआ करते थे और स्वायत्ता की यह परम्परा आज भी लगभग कायम है। यह स्थिति योजनाकार के लिये दूसरी कठिनाई हैं क्योंकि योजना व्यापक पैमाने पर सोची-बनायी जाती है जबकि नगा गांव स्वयं में पृथक इकाई की तरह हैं।

तीसरी बड़ी कठिनाई यह है कि नगा अर्थव्यवस्था पूरी तरह स्वभोक्ता, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है अर्थात जो कुछ गांव में बनता, उत्पादित होता है, गांव के लिये होता है और गांव में ही इस्तेमाल के लिये होता है। अगर कुछ फालतू बचता भी है तो वह आगे की आवश्यकता के लिये अथवा अनाथ, बेसहारा लोगों के लिये रख दिया जाता है। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता का सामान स्वयं जुटाता है। इसलिये आपसी आदान-प्रदान या लेन-देन या खरीद-बिक्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यापार नहीं होता। इसलिये पैसा लोगों के पास सामान्यतः नहीं होता। पैसे के बिना योजना कार्यक्रम कैसा? इसके लिये भी रास्ता है। यह है ग्राम सार्वजनिक कोष। इसका इस्तेमाल गांव के विकास तथा ग्रामवासियों के कल्याण और प्रगति के लिये किया जा सकता है। जैसाकि एक गांव के मुखिया ने कहा, "अपने गांव में तो हम हर वस्तु अपनी अवश्यकता के अनुसार पैदा करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम फालतू भी पैदा कर सकते हैं वह है मछली और फल। इनमें से मछली बेहतर रहेगी। हम सब मछली पालना जानते हैं। इस साल हमने अपने सार्वजनिक कोष से मछली के बीज खरीदे और प्रत्येक परिवार को एक हजार बीज दे दिये। तीन साल बाद हमारे पास काफी मछली फालतू होगी और इसे हम बेच सकेंगे। हम चाहते हैं कि इसे बेचने के काम में सरकार हमारी मदद करे। हम यह नहीं चाहते कि सरकार हमारी मछली खरीद ले। हमारा तो कहना यह है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि हमारे बाज़ार में दूसरी किसी जगह से मछली बिक्री के लिये न आये।"

उपरोक्त बात में योजनाकार के लिये काफी सुझाव और मार्ग-निर्देशन निहित हैं। उसे बता दिया गया है कि योजना में धन का प्रावधान ऐसे सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिससे ग्रामवासियों को उत्पादन वृद्धि में मदद मिले। मतलब यह है कि अनुत्पादक सामान खरीदने से बचना चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि सामान खरीदने का काम सार्वजनिक कोष समिति के सदस्यों पर ही छोड़ दिया जाये। धन मिलने पर ग्रामवासी उसका अपने ही ढंग से उपयोग करते हैं। इसके हम यहां दो उदाहरण देते हैं।

एक गांव की कुछ जमीन जब एक पेपर मिल ने खरीदी तो गांव को 20 लाख रुपये मुआवजा मिला। उपायुक्त को इस सौदे की पहले से जानकारी थी। उसने गांव के बुजर्गों से बातचीत की और अपने अधिकारियों की मदद से गांव में सार्वजनिक कोष समिति बनाने के लिये गांववासियों को तैयार किया। गांव को जब राशि मिल गयी तो नौ लाख रुपये भूमालिकों को सौंप दिये गये और गांव की जमीन की कीमत के ग्यारह लाख रुपये सार्वजनिक कोष के रूप में बैंक में जमा कर दिये गये। पांच साल बाद इस गांव में अब पांच बड़े मौरूंग (सामुदायिक हाल) मौजूद हैं जो सारे गांव के लिये विभिन्न कार्यों, उत्सवों के लिये इस्तेमाल होते हैं। उसके अतिरिक्त सार्वजनिक कोष से जरूरतमंद लोगों को हर साल फसल कटाई से तीन महीने पहले के कठिन समय के दौरान सहायता दी जाती है। इस कोष से कोई फालतू अथवा दिखावटी सामान नहीं खरीदा जाता।

इसी जिले में एक अन्य गांव में भी इस पेपर मिल ने जमीन खरीदी जिसके लिये 17 लाख रुपये का भुगतान किया

गया। उपायुक्त ने इस गांव के बुजुर्गों को भी धन का सदुपयोग करने के बारे में बातचीत की लेकिन उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पैसा मिलने पर लोग उसे अंधाधुंध खर्च करने लगे। लोगों ने दो-दो घड़ियां खरीद लीं। किसी ने दो-दो मोटरसाईकल खरीदी, कोई जीप खरीद लाया। अब इस गांव के लोग पछताते हैं कि उन्होंने इतना पैसा बेकार बहा दिया और सलाह अनसुनी कर दी। लेकिन उनकी शिकायत है कि अधिकारियों ने उन्हें खूब अच्छी तरह से समझाने की कोशिश नहीं की, वरना ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। यह पैसा गांव के कल्याण के लिए ठीक तरह इस्तेमाल हो सकता था लेकिन उन्हें जोर डालकर, सब बातें पूरी बताने, समझाने की पूरी-पूरी कोशिश प्रशासन ने नहीं की।

योजना प्रारूप के सिलसिले में हम सुझाव दे चुके हैं कि धन से लोगों को फालतू उत्पादन के लिये प्रेरित किया जा सकता हैं क्योंकि धन से वे ऐसा सामान बाज़ार से खरीद सकते हैं जिनसे उन्हें आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि बाहर से कोई आदमी काम के लिये न लिया जाये। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक – राजनैतिक ढांचे को देखते हुये यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस तरह से है:–

नगालैंड में जमीन और आबादी का अनुपात बाकी देश में इस अनुपात से बहुत ही कम है। इसलिये पुराने काम के साथ-साथ नया कामकाज शुरू करने के लिये लोगों को या तो खुद बहुत अधिक काम करना पड़ता है या फिर काम के लिये बाहर से आदमी लाने पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। इस क्षेत्र में पिछले बीस से अधिक वर्षों से सीमा सड़क संगठन को सारा खर्च केन्द्रीय बजट से मिलता है इसलिये नगालैंड सरकार के खर्च में इस संगठन के कामकाज और उसके महत्व का कोई संकेत नहीं मिलता। नगालैंड के लोगों का इस संगठन के लिए खर्च में शायद ही कोई योगदान है। राज्य के लिये एक सबसे बड़े और भारी निर्माण कार्यक्रम में राज्य के लोगों की कोई भागीदारी नहीं है।

नगालैंड में लोग खेतीबाड़ी को सबसे पहला व्यवसाय मानते हैं। वहां शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास जमीन नहीं है। लोग फरवरी से लेकर नवंबर तक खेती के काम में लगे रहते हैं। दिसम्बर-जनवरी में खाली रहते है। इस दौरान वे कोई काम करना पसंद नहीं करते। इसलिये सीमा सड़क संगठन को नगालैंड में काम के लिये आदमी बाहर से मंगाने पड़ते हैं।

लेकिन बाहर से आदमी मंगाने का एक अन्य पहलू भी है। नगालैंड और असम की सीमा पर पहाड़ियों की तलहटी की ढलानों के साथ काफी जमीन फैली हुई है। इस विवादाग्रस्त भूमि के कुछ हिस्सों के मालिक पिछले तीस से अधिक वर्षों से खेती के काम के लिये बाहर से मजदूरों को लाते रहे। इस क्षेत्र में नगा लोग भी हैं और असमी भी। सीमा के इस पार नगा क्षेत्र है और उस पार असमी भाषी क्षेत्र है। नगा लोगों की भाषा प्रायः बोलचाल की भाषा है जबकि असमी भाषा लिपिबद्ध भी है। बाहर से आये ये खेतिहर श्रमिक बोलचाल की नगा भाषा और लिपिबद्ध असमी भाषा के सम्पर्क में आते रहे। जब उनके हितों की बात उठी तो उनका झुकाव असमी भाषा की ओर होना स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने अपने कामकाज और भूमि मालिकों से अपने सम्बंधों के बारे में दस्तावेज लिखित रूप में असमी भाषा में बनवाये जो कालांतर में उन्हें उस जमीन का मालिक बनने के लिये ठोस दावे के रूप में काम आये जिसे वे जोतते रहे। इस तथ्य को लेकर उस क्षेत्र में तनाव और हिंसा का वातावरण अक्सर बना रहा है। इस तरह वहां बाहर से मजदूरों को लाने के खतरों से लोग सावधान हो गये हैं।

इसलिये हमारे विचार में बेहतर यह है कि लोगों को उत्पादन बढ़ाने के अधिक प्रयत्नों के लिये प्रेरित किया जाये। यह काम लोगों को नये काम धंधे अपनाने के लिए प्रेरित करके किया जा सकता है या फिर पुराने कामों में ही नये उत्पादन लेने के लिये उत्साहित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर धान के पानी भरे खेतों में मछली पैदा की जा सकती है।

इसके अलावा एक अन्य उदाहरण भी है। कुछ समय पहले नगालैंड सरकार ने लोगों को कॉफी की खेती के लिये प्रोत्साहन देना शुरू किया। सरकार ने इसके लिये बागान विकास निगम की भी स्थापना कर दी। ग्रामीणों को कॉफी उगाने के लिये तैयार करने, उनसे कॉफी खरीद कर कॉफी बोर्ड को बेचने का कार्यक्रम तैयार किया गया। किसान को पांच साल तक प्रत्येक माह दो सौ रुपये ऋण के तौर पर दिये जाते हैं। पांचवें वर्ष में कॉफी के बीज तैयार हो जाते हैं और इसकी बिक्री से हुई आय का कुछ भाग ऋण की अदायगी के रूप में ले लिया जाता है। किसान से यह आशा की जाती है कि वह धान की जगह कॉफी उत्पादन में पूरा ध्यान लगायेगा। लेकिन कुछ जगह ऐसा देखने में नहीं आया है। वर्ष में मई और जून के माह कॉफी की खेती के लिये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन दिनों कॉफी के पौधों की तरफ बड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन

किसान ऐसा नहीं करते और धान की फसल में ही जुटे रहते हैं क्योंकि इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन किसानों को इस बात का अब पता चल गया है कि कॉफी की खेती पर पूरा ध्यान देने से ही लाभ हो सकेगा।

लेकिन कॉफी की खेती का एक-अन्य पक्ष भी है कि नगा लोग स्वयं कॉफी इस्तेमाल नहीं करते। नगा अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्व-उपभोक्ता का है। वे उत्पादन अपने उपयोग के लिये करते हैं। इसलिये उन्हें कॉफी उत्पादन के लिये प्रेरित करना सरल नहीं है। कॉफी के ग्राहक भी नगालैंड से दूर हैं। उनसे किसानों का सीधा सम्पर्क नहीं है। इसलिये भी नगा किसान कॉफी के प्रति उत्साहित नहीं होते। इस सारी स्थिति से एक बात स्पष्ट हो जाती है, अगर योजनाकार कोई ऐसी नयी बात शुरू करना चाहते हैं जिसके लिये लोगों को अपनी किसी पुरानी आदत, परम्परा या व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा तो उन्हें इस बात का यकीन दिलाने की पूरी जिम्मेदारी योजनाकार पर होगी कि नयी बात में उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लोगों को आश्वस्त करने के साथ-साथ उन्हें जानकारी और शिक्षा देने के उपाय भी करने होंगे। धान के खेत में मछली उत्पादन के सम्बन्ध में लोगों को मुख्य रूप से यह समझाना होगा कि इस नये काम से उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

कॉफी की खेती के बारे में किसानों को यह समझाना होगा कि उनकी कॉफी की उपज की स्थानीय तौर पर बिक्री संभावित हो सकेगी और इस बिक्री कार्य में उन्हें भी शामिल किया जायेगा। इस प्रकार, कोई भी नया काम शुरू कराते समय चार बातों को ध्यान में रखना होगा –

1. नये काम में मौजूदा लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार बहुत मामूली होगा।
2. नये काम के उत्पादन का उपभोग उत्पादक स्वयं ही कर सकेंगे।
3. नये उत्पादन की फालतू मात्रा निकटवर्ती स्थान पर संभव हो सकेगी।
4. बिक्री प्रबंध कार्य में उत्पादकों को भी शामिल किया जायेगा।

कुछ क्षेत्रों में नये काम शुरू कराने के अलग-अलग अनुभव सामने आये हैं। हम इनमें से कुछ अनुभवों की जानकारी यहां देना चाहेंगे।

एक गांव में वनरोपण बड़ी पुरानी परम्परा है। वैसे नगालैंड में ऐसे गांव गिने-चुने ही हैं जहां वन लगाने का रिवाज है। हमारे अभियान से यह बात सामने आयी कि ग्रामवासियों को वन लगाने के लिये प्रोत्साहित करना और उनमें पेड़ लगाने की आदत जगाना कोई कठिन काम नहीं है। एक वर्ष तो पंच सभा और सार्वजनिक कोष समिति ने फैसला किया कि हर वर्ष समर्थ पुरुष चुने हुये स्थानों पर कुछ खास-खास पेड़ लगायेंगे। प्रति परिवार को कम से कम दस पेड़ लगाने थे और पेड़ लगाने का कार्यक्रम पहले तय कर लिया जाना था। अगले वर्ष (1981) ग्रामवासियों ने एक विशेष जाति के पांच हजार पेड़ लगाये। उससे अगले साल पांच हजार और पेड़ उसी जाति के तथा ढाई हजार पेड़ विभिन्न किस्मों के लगाये गये। इसी वर्ष निरीक्षण से पता चला कि पिछले वर्ष लगाये गये कुल पांच हजार पेड़ों में से चार हजार आठ सौ पेड़ मौजूद थे और बढ़ रहे थे। पेड़ों की किस्मों का चयन ग्रामवासियों ने स्वयं किया था। यह पेड़ बड़ी जल्दी बढ़ता है और इसकी लकड़ी निर्माण कार्य में उपयोग होती है। इस पेड़ को जानवरों से कोई डर नहीं होता। इसकी देखभाल के लिये कोई विशेष बोझ नहीं पड़ता। इसे कीड़ा भी नहीं लगता।

एक अन्य गांव में वर्ष 1977 में सेबों का बाग लगाया गया। अब गांव में सेब के तीन हजार दो सौ पेड़ हैं। वर्ष 1982 में पहले पचास पेड़ों से प्रति पेड़ करीब बीस किलो सेब मिले। गांव के पास के नगर की मंडी में हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से आया सेब दस रुपये किलो मिलता है। इस गांव में उगा सेब भी अब मंडी में बिकने लगा है। सेब का बाग सारे गांव का है इसलिये साल में चार दिन गांव के सब स्त्री, पुरुष व बच्चे बाग में काम करते हैं। गांव के दो निर्धन व्यक्तियों को बाग में पूर्णकालिक माली के रूप में निश्चित वेतन पर रखा गया है। बाग से होने वाली आय का कुछ हिस्सा इन्हें भी दिया जाता है।

एक जिला मुख्यालय के निकट स्थित दो गांव अपने यहां की फल व सब्जी की उपज पिछले कई वर्षों से मंडी में बेच रहे हैं। अब इन दोनों गांवों के लगभग सभी मकानों पर पक्की टीन की छत है।

राज्य के एक कोने में पांच गांव अपनी बढ़िया बकरियों के लिये बड़े प्रसिद्ध हैं। इसकी सार्वजनिक कोष समितियों के गठन के बाद उन्होंने मिलकर पशु फार्म बनाने के बारे में प्रशासन से

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम: नये मोड़ पर: ले० मदन गोपाल;
प्रकाशक: प्रचारक बुक क्लब, हिन्दी प्रचार संस्थान, पिशाच मोचन, वाराणसी-221 001.

हिन्दी कथा साहित्य के क्षेत्र में मदन गोपाल एक ऐसा नया नाम है जो अब तक हिन्दी के महारथियों की जीवनियां, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में लिखकर यदि एक तरफ हिन्दी के जीवनी-साहित्य को समृद्ध करता रहा है तो दूसरी तरफ अंग्रेजी के पाठकों को हिन्दी साहित्य की समृद्धि से परिचित कराता रहा है। प्रेमचंद — युग के इस लेखक ने समीक्ष्य उपन्यास अपने जीवन के सांध्यकाल में लिखकर अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक सर्वथा नयी विधा का चुनाव किया है। उपन्यास भी लिखा तो ऐसा वैसा नहीं — एक ऐसा उपन्यास जिसकी कथा भूमि इतनी व्यापक है कि लेखक दो मध्य वर्गीय परिवारों की तीन पीढ़ियों के बदलते जीवन-मूल्यों के माध्यम से वर्तमान शताब्दी के आरम्भ से लगभग अस्सी वर्षों के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का बिहंगावलोकन करा देता है।

तीन खंडों — प्रभात, अपराह्न एवं गोधूलि में विभाजित इस उपन्यास का कथानक पराधीन ब्रिटिश भारत में रानी विक्टोरिया के शासन काल से स्वतंत्र भारत में सन् 1975 के आपातकाल के बाद तक फैला हुआ है। प्रथम खंड पढ़कर पुनर्जागरण काल से गांधीजी के नमक सत्याग्रह तक का देश का इतिहास चलचित्र की रील की तरह आंखों के सामने से गुजर जाता है। इसमें पंजाब के एक कस्बा जगदीशपुर और उस से कुछ ही मील की दूरी पर बसे गढ़ी पोखर के दो परिवारों की कहानी के जरिये लेखक ने इस शताब्दी के आरम्भ के राजनीतिक जीवन का चित्रण किया है। देश में एक वर्ग ऐसा भी था जो विक्टोरिया को दुर्गा का अवतार तथा अंग्रेज महाप्रभुओं की ही तरह ब्रिटिश शासन को इस देश के लिए वरदान समझता था। सामाजिक जीवन अशिक्षा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। तत्कालीन सामाजिक जीवन को जो उज्ज्वल पक्ष उपन्यास में उभारते हैं वे हैं आर्य समाज के सुधारवादी आंदोलन और क्रांतिकारी दलों के प्रति युवकों में उत्साह तथा सामान्य जन के बीच परस्पर धार्मिक सदभाव। वे एक दूसरे के धर्म का आदर करते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे। त्रिवेणी सहाय के मकान पर शाम को उनका जो दरबार लगता था उसमें सभी धर्मों के अनुयायी शरीक होते थे, यद्यपि वे अपना हुक्का अलग-अलग लाते थे।

लेखक ने क्रांतिकारी आंदोलन का बड़ा सटीक चित्रण किया है और कुछ ऐसे तथ्य भी दिये हैं जिनकी जानकारी आज बहुत कम लोगों को रह गयी है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय रिपब्लिकन समिति, जिसकी स्थापना शहीदेआजम भगतसिंह आदि ने की थी, सांप्रदायिक भेदभाव मिटाने तथा परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सब सदस्यों का सहयोग प्राप्त था। लेखक अपने कथानक को स्वतंत्रता-आंदोलन के इतिहास से जोड़ कर चलता है। यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि त्रिवेणी सहाय जैसा ब्रिटिश राजनायिक भी पारिवारिक परिस्थितियों के दबाव के कारण ही सही, गांधी-युग आने पर गांधीजी के विचारों से प्रभावित हो जाता है। वास्तव में, यदि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर गौर करें तो लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधीजी आंधी की तरह देश के राजनीतिक आकाश में छा गये थे और उनकी पुकार देश की पुकार बन गयी थी।

दूसरा खंड गांधी जी के नमक सत्याग्रह से स्वतंत्र भारत में सन् 1962 के चीनी आक्रमण तक के काल-खंड में फैला हुआ है। इस खंड के कथानक की पृष्ठभूमि मुख्यत: है — 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि मंत्रिमंडलों का गठन, ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना आदि। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति, युद्ध के दिनों की कालाबाजारी और तस्करी से धन्नासेठों का उदय, नेताजी द्वारा आजाद हिन्द सरकार की स्थापना, स्वातंत्र्योत्तर कांग्रेस सरकार की स्थापना।

तीसरे खंड की कथा चीनी आक्रमण के बाद से सन् 1975 के आपातकाल के बाद तक फैली हुई है। तीसरे खंड में सितांशु को छोड़कर अन्य सभी पात्र पतनोन्मुखी दृष्टि गोचर होते हैं। आशा की किरण है तो मात्र आदर्शवादी सितांशु।

नरेन्द्र सिन्हा,
पाकेट-ए/7ए, विकासपुरी विस्तार
आउटर रिंग रोड,
नयी दिल्ली-110 008

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की विस्तृत योजनाएं हैं – दुधारू पशुओं से लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक तक, बैलगाड़ियों से चाय की दुकान तक।

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ.. नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55
दिल्ली डाक

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi
Delhi Postal

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित